लोक-सभा

मंगलवार,
१६ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जुलाई से २० अगस्त, १९५५)

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

स्तम्भ

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७ . . . . . . १–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ . ४५–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ . ४८–६६

अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . . ६७–१११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से ११७ १११–१३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५ १३५–१५२

अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ . १५३–१९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १९७–२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३ २०३–२१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३ . . . . २१०–२२४

अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२ २२५–२६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६ . . . . २६६–२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . . २८२–२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . — २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . — ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ — ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . — ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . — ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . — ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . — ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . — ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . — ४८५–४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . — ४८९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . — ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . — ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ — ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२६, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ — ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . — ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ — ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ — ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . — ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ — ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६. ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . — ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५, ५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० — ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . — ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५९८, ५९२ ५९३, ५९१ और ५९३ . — ७८१-८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . — ८२४-८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२८, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०. ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९१९ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६० से ८९२, ८६६, ६०१, ६११, ६१८, ६१६, ६२१, ६२२, ६२५ और ६२६ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६३५, ६४०, ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७, ६४८, ६५० से ६५३, ६५७, ६५६ से ६६२, ६६८, ६७०, ६७१, ६७४, ६७५, ६३१, ६३८, ६३६, ६४६, ६५४, ६६५ और ६७२ . १३५६-१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२, ६३७, ६३६, ६४२, ६४६, ६५५, ६५८, ६६३, ६६४, ६६६, ६६७, ६६६ और ६७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४-१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

——

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***७४१. श्री राधा रमण** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५-५६ में आसाम सरकार को राज्य में पुनर्वास कार्य के लिये कुछ वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी; और

(ग) वहां इस वर्ष के प्रारम्भ से, पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्ति बसाए गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी, हां।

(ख) पहली अप्रैल से ३० जून १९५५ तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गयी है:

(१) अनुदान १३.६४ लाख रुपये

(२) ऋण ४४.४१ ,, ,,

——————

५८.०५ लाख रुपये

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के लगभग ७००० विस्थापित परिवारों को आंशिक रूप से या पूर्णतया बसने की सुविधाएं दी गयी हैं।

श्री राधा रमण : अब तक पूर्वी बंगाल से कितने विस्थापित व्यक्ति आसाम आए हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार और आसाम सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता दी गयी है?

श्री जे० के० भोंसले : मई, १९५५ तक ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ३.५३ लाख है।

श्री राधा रमण : इन विस्थापितों को बसाने के लिये आसाम सरकार द्वारा स्वीकृत धन समेत कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

श्री जे० के० भोंसले : अब तक कुल ५०९.६४ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

श्री बी० के० दास : खेती योग्य भूमि पर कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं निश्चय ही मालूम करूंगा और माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री बी० के० दास : क्या आजकल आसाम में विस्थापित लोग आ रहे हैं जैसे कि पश्चिमी बंगाल में ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हाँ, हमारा अनुमान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक ६,००० विस्थापित परिवार आसाम आ चुके होंगे।

श्री एस० सी० सामन्त : पिछली गड़-बड़ में जो विस्थापित लोग डर के मारे भाग गये थे, वापिस आ गये हैं और उन्हें फिर से बसाया जा चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : बहुत से परिवार लौट आये हैं और दूसरों को भी लौटने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कुटीर उद्योगों के लिये अग्रगामी परियोजनाएं

*७४५. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास आयुक्तों के चौथे सम्मेलन में एक योजना बनाई गई है कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में २६ अग्रगामी परियोजनाएं चालू की जायं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन-किन सामुदायिक परियोजनाओं में प्रारम्भ किया जायगा; और

(ग) इन अग्रगामी परियोजनाओं में कौन-कौन से उद्योग सम्मिलित किये जायेंगे।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]**

डा० रामा राव : विवरण में कहा गया है कि एक परियोजना आंध्र में होगी जहां छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का विकास किया जायगा। क्या मैं जान सकता हूं कि काकिनाडा—पेड्डापुरम परियोजना में किन-किन कुटीर उद्योगों का विकास किया जायेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : अब इन बातों पर विचार किया जायगा। उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनायी जायगी।

श्री डाभी : इन परियोजनाओं पर कितना आवर्त्तक और कितना अनावर्तक खर्च होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक अग्रगामी परियोजना का सम्बन्ध है, आशा है कि यह ६ महीने तक चलेगी और इस पर लगभग २५ हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके बाद इसे सामान्य प्रशासन में मिला दिया जायगा।

बिजली के भारी सामान का संयंत्र

*७४६. **श्री इब्राहीम** : क्या **उत्पादन** मंत्री ११ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उसके बाद से यह निर्णय किया गया है कि देश में बिजली के भारी सामान के निर्माण के लिये एक सरकारी कारखाना खोला जाय;

(ख) यदि हां, तो इसके कब खोले जाने का विचार है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना पर कितने खर्च का अनुमान है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह निर्णय किया गया है कि बिजली के भारी सामान के निर्माण के लिये एक सरकारी कारखाना खोला जाय।

(ख) अभी निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि यह कारखाना किस तिथि को खोला जायगा।

(ग) जब तक टेकनीकल परामर्श-दाताओं की नियुक्ति न हो जाय और वे सरकार के परामर्श से इस परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन न दे दें तब तक खर्च का निश्चित अनुमान नहीं बताया जा सकता ।

श्री इब्राहीम : क्या इस संयंत्र के लिये विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ?

श्री सतीश चन्द्र : हमें संयंत्र लगाने और अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने में सहायता करने के लिये टेकनीकल परामर्श-दाताओं की एक विदेशी फर्म को नियुक्त करना पड़ेगा ।

श्री इब्राहीम : यह किस स्थान पर लगाया जायगा ?

श्री सतीश चन्द्र : परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन मिलने और उस पर सरकार द्वारा पूर्णतया विचार होने तक स्थान का चुनाव सम्भव नहीं है ।

श्री पुन्नूस : सरकार स्थान को चुनते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में उन बातों की चर्चा भी होगी ।

सीमेंट

*७४९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भारत में इतना सीमेंट बनने लगा है जिससे उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी होने लगी हैं और विदेशों में उसकी बिक्री का विकास करने की चेष्टा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट के मूल्य तथा इस के वितरण पर नियंत्रण जारी रखने की क्या जरूरत है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जो अर्थ व्यवस्था फैल रही हो उसमें किसी एक वस्तु में आत्मनिर्भरता है या नहीं, यह तो उसकी आवश्यकता पर निर्भर है। हमारा सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य १ करोड़ टन का है और हमें आशा है कि निकट भविष्य में ५० लाख टन सीमेंट का उत्पादन हो सकेगा । सीमेंट की मांग बढ़ रही है। सीमेंट बाहर भेजने का प्रयत्न इसलिए किया जा रहा है कि हम इसका उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं ।

(ख) क्योंकि उपलब्ध मात्रा और मांग में काफ़ी अन्तर है इसलिए मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण आवश्यक है।

पंडित डी० एन० तिवारी : पिछले तीन महीने में कितना सीमेंट बाहर भेजा गया है ।

श्री कानूनगो : मैं पिछले तीन महीने के आंकड़े तो नहीं बता सकता परन्तु मोटे तौर से यह कह सकता हूं कि १९५४–५५ में हमने ९४,०५० टन सीमेंट बाहर भेजा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में सीमेंट की कमी है और इस कमी के कारण विकास परियोजनाओं का काम भी रुका पड़ा है ? यदि हां, तो जब देश की जरूरतें पूरी नहीं होतीं, सीमेंट बाहर क्यों भेजा जा रहा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामचारी) : सीमेंट के निर्यात की अनुमति सामान्यतः उन कारखानों को दी गयी थी जो उन क्षेत्रों से दूर हैं जहां सीमेंट की कमी है। सभा के सदस्यों को यह भलीभांति मालूम है कि इस समय दक्षिण भारत से बिहार में माल पहुंचाने की समस्या बड़ी विकट है।

श्री एस० सी० सामन्त : सौराष्ट्र में, जहां इतना चूने का पत्थर मिलता है सीमेंट के उत्पादन के लिये क्या सहायता दी गयी है या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सहायता का कोई प्रश्न नहीं है। सौराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने खुल रहे हैं। समस्या फिर यही होगी कि सौराष्ट्र से सीमेंट उन क्षेत्रों में कैसे पहुंचाया जाय जहां उसकी खपत होती है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट की कमी है—या कम से कम वहां नहीं मिलता जहां इसकी आवश्यकता है—क्या सरकार इसके निर्यात को रोकने और इस पर से नियंत्रण हटाने की बात सोच रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमचारी : जी, नहीं। सच तो यह है कि इसका निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है और हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि मेरे माननीय साथी ने बताया, आशा है कि सीमेंट का उत्पादन शीघ्र ही ५० लाख टन तक पहुंच जायगा और अगले साल मार्च तक ६० लाख टन सीमेंट बनने लगेगा। जहां तक नियंत्रण का सम्बन्ध है, जब तक कमी है, तब-तक तो यह जारी रखना ही पड़ेगा।

बागान जांच आयोग

*७५३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २५ फरवरी १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से बागान जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं। प्रतिवेदन अभी नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के लिये कोई अवधि निश्चित की थी ?

श्री करमरकर : आयोग से अक्तूबर तक प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था परन्तु उसने सरकार को लिखा है कि उसे जांच पूरी करने और प्रतिवेदन देने के लिये और समय की आवश्यकता है। आयोग ने कहा है कि यह अवधि दिसम्बर तक बढ़ा दी जाय। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री टी० बी० बिट्ठल राव : यह आयोग किन-किन राज्यों में जा चुका है ?

श्री करमरकर : मेरे पास पूरी सूची तो नहीं है परन्तु आयोग उन सब राज्यों में जा चुका है जहां चाय, काफ़ी इत्यादि के बागान हैं।

रेशम

*७५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेशम उत्पादन का मूल्य कम करने तथा उसकी किस्म को सुधारने में सरकार को कहां तक सफलता मिली है;

(ख) इस काम के लिये १९४७ से अब तक, प्रति वर्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कितनी रकम दी गई; और

(ग) क्या यह सच है कि श्रीलंका में काश्मीर की रेशमी साड़ियों की माँग बहुत है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) प्रशुल्क आयोग प्रतिवेदन (१९५३) के अनुसार १९४९ और १९५३ के बीच में कच्चे रेशम का मूल्य २ रुपये ७ आने १० पाई प्रति पौण्ड कम कर दिया गया है। कोये अच्छे होने के कारण रेशम की किस्म में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ है।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) हाँ, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जानना चाहता हूँ कि १९४४ से कितने गवेषणा केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : जहाँ तक मुझे याद है, दो केन्द्र हैं—एक तो मैसूर स्थित चेन्नापटनम् में और दूसरा पश्चिमी बंगाल स्थित माल्दा में।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूँ कि १९५४–५५ में कितनी नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी तक एक भी नई योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। अब चूंकि चालू वर्ष के लिये अतिरिक्त अनुदान दिये गये हैं, अतः विशेषतः मैसूर और मद्रास सरकार से कहा गया है कि वे कुछ प्राविधिक योजनायें भेजें।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि १९५३–५४ में विशेष योजनाओं के लिये २० लाख रुपये पृथक् रखे गये थे ?

श्री आर० जी० दुबे : हाँ श्रीमान्।

श्री एन० राचय्या : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोये की दर में काफी उतार-चढ़ाव होने के कारण मैसूर का रेशम उद्योग बड़े संकट में पड़ गया है, और यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस बात पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। किन्तु जहां तक मुझे इसकी जानकारी है, भारत सरकार ने मैसूर सरकार को चेन्नापटनम् में प्रयोग के लिए अतिरिक्त अनुदान दिये हैं, और मुझे यह जानकारी मिली है कि इस प्रयोजन के लिए १०० विकसित जलाशय मैसूर राज्य में रेशम के रेशे और उसकी किस्म सुधारने के लिए पहले से खुले हैं।

डा० रामा राव : मैं जानना चाहता हूँ कि ये २० लाख रुपये किन मुख्य कार्यों पर खर्च किये जा रहे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : क्या आप ब्योरेवार हिसाब चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं; वह मुख्य मुख्य बातें जानना चाहते हैं।

श्री आर० जी० दुबे : उदाहरण के लिये, १९५३-५४ के लिये मैसूर सरकार को ३,६४,५०० रुपये दिये गये थे जो लगभग बीस कार्यों के लिये थे; जैसे रेशम के कीड़ों की भरण-पोषण गवेषणा के लिये २०,००० रुपये, चेन्नापटनम् की मलबरी ग्राफ्ट नरसरी के लिये १०,००० रुपये; और इसी प्रकार कोया बाजार, आदि स्थापित करने के लिये अलग-अलग धन-राशियां।

अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन

*७५५. **श्री हेडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन में क्या संकल्प पारित किये गये;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें कहाँ तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) संकल्पों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) हां श्रीमान्।

(ग) रामनाथन् समिति तथा अप्रैल १९५४ के मलनाड सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उपयुक्त योजनायें तैयार की हैं और पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उन पर ही विचार किया जा रहा है। अखिल भारतीय मलनाड सम्मेलन की स्थायी समिति अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता कर सकती है।

श्री हेडा : मलनाड सम्मेलन ने अपने प्रथम संकल्प में सरकार से यह प्रार्थना की थी कि सरकार को केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री के सभापतित्व में मैसूर, बम्बई मद्रास और कुर्ग सरकारों के प्रतिनिधियों का एक विकास बोर्ड बनाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई बोर्ड बनाया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : योजना आयोग का यह विचार है कि राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही को देखते हुए ऐसा बोर्ड बनाना आवश्यक नहीं है।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मलनाड क्षेत्र मैसूर, कुर्ग, बम्बई और मद्रास—इन चार राज्यों के क्षेत्राधिकार में है, ये चारों सरकारें ऐसे बोर्ड के बिना कैसे अपने कार्यों का समायोजन कर सकेंगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : इन राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी योजनायें रानमनाथन् समिति की सिफारिशों के अनुसार बनावें। अतः मैं समझता हूँ कि वांछित समायोजन हो सकेगा।

श्री जोकीम आल्वा : विवरण में यह कहा गया है कि यह एक समृद्ध क्षेत्र है और दो शताब्दियों से इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने मलनाड क्षेत्र का एक प्रतिवेदन भी तैयार किया था जो कई वर्षों से सरकारी पत्रों में पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उस प्रतिवेदन को अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया ?

श्री एस० एन० मिश्र : समिति की सिफारिशों को खाद्य और कृषि मंत्रालय कार्यान्वित कर सकता था किन्तु उन्होंने सोचा कि उनके संसाधनों में हानि होगी। अब राज्य सरकारें इस विषय पर विचार करेंगी और सुझाव प्रस्तुत करेंगी।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : यहाँ मैं यह भी बता दूं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से बहुत कुछ मिल सकता है, और इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। । जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है, राज्यों से कहा गया है कि वे समितियों की सिफारिशों को ध्या

में रख कर नियम बनावें । अब वह समय आ गया है जब कि सम्बन्धित राज्यों से योजना आयोग के पास योजनायें आने पर इस क्षेत्र के कार्यों में समन्वय स्थापित करने की ओर ध्यान दिया जायगा।

श्री हेडा : अब तक तो यही देखा गया है कि उस क्षेत्र के पिछड़ा होने के कारण सम्बद्ध राज्यों ने उस पर उचित ध्यान नहीं दिया है और जैसा कि सम्मेलन में बार बार अनुरोध भी किया गया, केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा समायोजन होना चाहिये। क्या सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें इन क्षेत्रों की अवहेलना नहीं करेंगी ?

श्री नन्दा : प्रत्येक राज्य की कुछ निजी शक्तियाँ होती हैं। हम इन शक्तियों को दबाने के लिये कोई प्राधिकार स्थापित नहीं कर सकते । फिर भी हमें अपना उद्देश्य याद रहेगा और विभिन्न योजनाओं के संवरण के समय उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा जायगा ।

नीवेली लिग्नाइट परियोजना

***७५७. डा० रामा राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक शक्तिशाली पम्पों के आने की प्रतीक्षा में नीवेली लिग्नाइट परियोजना का कार्य कब से रुका पड़ा है;

(ख) जिन देशों से पम्प आयेंगे उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उनका क्रय मूल्य कितना है; और

(घ) पम्पों के कब तक आने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नीवेली लिग्नाइट परियोजना का काम कभी बन्द नहीं हुआ है । इसके विपरीत, लिग्नाइट की खानों की स्थिति और विस्तार की जाँच के लिये खुदाई की जा रही है। भूमि में जल के स्तर की ठीक-ठीक जांच के लिये और पम्प लगाने के लिये भी खुदाई की जा रही है। परियोजना में २५० जी० पी० एम० पम्प पहले लगे हुए हैं जिनसे पम्प करने के परीक्षण हो रहे हैं । इनके परिणामस्वरूप ही पूरे पैमाने पर परीक्षण के लिये विशेष कार्यक्रम तयार किया गया है।

(ख) से (घ). अप्रैल—मई १९५५ में क्रमश: जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका को १००० जी० पी० एम० शक्ति वाले चार जमीन के नीचे गाड़ने के पम्प और चार सीधे पम्प भेजने का आर्डर दिया गया था जिनमें प्रत्येक का मूल्य क्रमश: ३१,२६० रुपये और ६०,२५० रुपये है। प्रथम चार पम्प जर्मनी से बम्बई आ गये हैं और शेष चार सितम्बर के अन्त तक आ जायेंगे। हाल ही में और आठ सीधे पम्पों का आर्डर दिया गया है और आठ जमीन के नीचे गाड़ने के पम्पों का आर्डर भेजा जाने वाला है । इन अतिरिक्त १६ पम्पों की अक्तूबर १९५५ के मध्य तक आने की संभावना है।

डा० रामा राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या २५ फरवरी, १९५५ के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा था कि दिसम्बर १९५४ के अन्त तक वहाँ की ८८ प्रतिशत भूमि खोद दी गई थी और पम्प द्वारा पानी निकाल कर जल स्तर को नीचा करने तक के लिये काम बन्द कर दिया गया था और दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या उन्होंने यह भी कहा था कि अधिक शक्ति शाली पम्पों के टेंडर मांगे गये हैं और मार्च के मध्य तक वे प्राप्त हो जायेंगे ?

खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ पम्प आ गये हैं और कुछ आ रहे हैं।

ऐसी वृहत् परियोजना में दो पम्पिंग सेट न होने के कारण काम रुका रहा चाहे छोटा-मोटा काम भले ही चलता रहा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी परियोजनाओं में विलम्ब निवारण हेतु उत्पादन मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह बात उत्तर से स्पष्ट हो चुकी है । मद्रास सरकार के पास २५० पी० जी० एम० पम्प हैं जिन की सहायता से नीचे का पानी निकाला जा रहा है । केवल इतनी सी बात थी कि हमारे सामने कुछ बाधायें आईं, बड़े पम्पों की आवश्यकता हुई और टेंडर स्वीकार किये गये। कुछ पम्प आ भी गये हैं। जब तक और पम्प न थे तब तक परीक्षण कार्य चल रहा था।

खादी

*७५८. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी उत्पादन तथा संस्थापन व्यय को कम करने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जब से खादी के विक्रय मुल्य में रियायत की गई है, तब से इसके उत्पादन तथा संस्थापन व्यय में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कथनानुसार उत्पादन अथवा संस्थापन व्यय में कमी की जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खादी बनाने वालों के वेतन और भत्ते अन्य उद्योगों में काम करने वाले लोगों से पहले ही कम हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन कर्मचारियों को कुछ भविष्य निधि अथवा निवृत्ति-वेतन भी दिया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : इन कर्मचारियों को कोई निवृत्ति-वेतन नहीं दिया जाता।

पंडित डी० एन० तिवारी : और भविष्य निधि ?

श्री सतीश चन्द्र : न भविष्य निधि दी जाती है और न निवृत्ति-वेतन ही दिया जाता है ।

श्री हेडा : इसके पूर्व खादी में संस्थापन व्यय, रुपये पर दो आना अर्थात् १२ १/२ प्रतिशत होता था। अब कुल व्यय में संस्थापन के व्यय का क्या अनुपात है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़े पैमाने पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए खादी बोर्ड ने सरकार से खादी की लागत में कमी की संभावना के सम्बन्ध में कहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : खादी की कीमत में कमी मजदूरी व संस्थापन व्यय को घटाकर ही संभव हो सकती है। मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि ये व्यय बहुत कम हैं तथा उन्हें और कम करना संभव नहीं है । यह संभव हो सकता है कि अम्बर चर्खे और बढ़े हुए उत्पादन के कारण खादी के उत्पादन की लागत में थोड़ा सा अन्तर पड़े।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*७५९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के एक पदाधिकारी को

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में, उस क्षेत्र के निवासियों के लिये खाद्यान्न उत्पन्न करने की संभावना का अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने को भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो पदाधिकारी ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) से (ग). उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण को खाद्य की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के एक पदाधिकारी को समस्या का अध्ययन करने के लिये वहाँ भेजा गया था। उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं जो कि स्थानीय प्रशासन के परीक्षाधीन हैं :—

(१) प्रशासनिक मुख्यालय के निकट के क्षेत्रों की भरपूर खेती।

(२) प्रशासनिक केन्द्रों के निकट प्रदर्शन व उत्पादन के फार्म।

(३) प्रदर्शन व उत्पादन फार्म जहाँ सहायक कृषि निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय।

(४) अतिरिक्त क्षेत्रों के चुने हुए खण्डों में भरपूर खेती, जिनका बाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के रूप में विकास किया जा सके।

(५) अच्छे कृषकों को राज-सहायता प्राप्त कृषकों के रूप में विकसित करने के लिए उनका संवरण।

(६) आदिम जातियों के बीच फसल प्रतियोगिता का प्रारम्भ किया जाना।

(७) यथासम्भव सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन।

(८) योजनाबद्ध बस्ती बसाने के लिये यथासम्भव भूमि को कृषि योग्य बनाना।

(९) पौधों का संरक्षण।

(१०) छोटे पैमाने के सिंचाई कार्य।

(११) खादों और उर्वरकों का वितरण।

(१२) शुद्ध बीजों का वितरण।

(१३) खेती के औज़ारों का वितरण

(१४) उद्यान विद्या का विकास।

श्री रिशांग किशिंग : वर्तमान समय में उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में खाद्यान्न की कितनी कमी है तथा इन सिफारिशों के क्रियान्वित होने पर वहां खाद्य समस्या कितनी हल हो जायेगी?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आशा है कि इनसे समस्या हल हो जायेगी किन्तु जैसा स्वाभाविक है इसमें कुछ समय लगेगा ही।

श्री रिशांग किशिंग : इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा?

श्री जे० एन० हजारिका : उक्त सिफारिशों पर यथा शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : विभिन्न तरकीबें हैं। कुछ कम समय लेंगी तथा कुछ अधिक।

आंध्र को ऋण

*७६२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के

विस्तार के लिये १ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निश्चय किया गया ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ। १५० लाख रुपये के ऋण के लिये प्रार्थना की गई है।

(ख) राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह विशेष विकास निधि से १९५५–५६ के लिये मंजूर किये गये ४०० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता में से इन कार्यों के लिये व्यय करे। यह भी सुझाव दिया गया है कि अग्रेतर सहायता के प्रश्न पर वर्ष के अन्त में, सर्वोपरि वित्तीय स्थिति के स्पष्ट होने पर, विचार किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : माननीय मंत्री ने और दी जाने वाली जिस सहायता की ओर निर्देश किया है, क्या उसमें इस प्रयोजन के लिये आँध्र राज्य को स्वीकृत की जाने वाली राज्य सहायता भी सम्मिलित की गयी है ?

श्री हाथी : यह सब उक्त योजनाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। यदि इस समय वह वर्तमान योजनाओं को ही पूरा करें तो भी उनसे स्थिति में निःसंदेह सुधार होगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखकर कि आँध्र में बिजली का प्रति-व्यक्ति व्यय अवशेष देश से लगभग आधा है, क्या सरकार आँध्र राज्य में बिजली के विस्तार के लिये विशेष सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : सहायता देने का प्रश्न स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार से यह कहा गया है कि इस वर्ष अर्थात् १९५५–५६ के लिये मंजूर हुए ४०० लाख रुपये में से वह उक्त कार्य के लिये धन व्यय कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत अवशेष देश से आधे से भी कम है, क्या सरकार इस विकास निधि के अलावा भी कोई विशेष सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : वस्तुतः यह सहायता विशेष विकास निधि से ही दी जा रही है। इसका तात्पर्य ही यह है कि यह विशेष रूप से दी गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*७६७. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विकास योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये योजना आयोग को दी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुल कितना व्यय होगा तथा वह व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच किस प्रकार विभाजित किया जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के योजना के मसविदे में सम्मिलित योजनाओं का कुल व्यय ७२५ करोड़ रुपये है। अभी केन्द्र तथा राज्यों के अंशों के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। योजना के मसविदे पर हाल ही में योजना आयोग तथा राज्य सरकार की बीच चर्चा हुई है तथा उसमें संशोधन होने की आशा है।

श्री एम० एल अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने कुछ बड़े उद्योगों तथा इस्पात तथा उर्वरक उद्योगों को राज्य में रखने का आग्रह किया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस्पात के सम्बन्ध में तो मैं यथार्थतः नहीं कह सकता, किन्तु उन्होंने कई उद्योगों के सम्बन्ध में कहा था।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस माँग पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसके लिये पृथक पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अगली योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था प्लानिंग कमीशन ने उसमें बहुत गहरी काट-छांट कर दी है, और क्या यह सत्य है कि इसके बारे में आगे जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ही इसमें कमी करेगी या प्लानिंग कमीशन ही उसमें काट-छांट कर देगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : अभी एक गलतफहमी फैल रही है कि हम सभी राज्य योजनाओं पर कोई निर्णयात्मक विचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम कभी ऐसे स्टेज से गुजरते हैं जिसमें जो भी आर्थिक साधन स्टेट्स को उपलब्ध हैं उनके अनुरूप योजना को बनाने के बारे में परामर्श करते हैं, और अभी इसी तरह का परामर्श हुआ है। लेकिन कोई खास निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री मुहीउद्दीन : सभी राज्यों के द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई योजनाओं में अन्तर्ग्रस्त व्यय का कुल योग कितना है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि सभी मिलाकर अभी ९ हज़ार करोड़ के करीब की स्कीमें मालूम हुई हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*७६८. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अन्य पोत-प्रांगण बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कहाँ स्थित होगा ?

योजान उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि विदेशी विशेषज्ञों ने भारत के तटीय स्थानों की जाँच की है, और यदि हाँ तो क्या उक्त पोत-प्रांगण बनाने में उनकी सलाह पर भी ध्यान रखा गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मुझे इस प्रश्न पर कोई जानकारी नहीं है। यदि विदेशी विशेषज्ञों के एक दल ने यहाँ आकर जाँच पड़ताल की है तो योजना आयोग इस समस्या पर विचार करते समय इन सभी बातों पर विचार करेगा।

श्री अच्युतन : इस बात को ध्यान में रख कर, कि पूर्वी तट पर विशाखपटनम् में एक जहाज़ बनाने का पोत-प्रांगण है तथा बम्बई में भी कई योजनायें हैं, क्या सरकार इस नये पोत-प्रांगण को कोचीन में बनाने की वाँछनीयता पर विचार करेगी जो कि इस समय विकास की स्थिति में हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह एक सुझाव है।

विशाखपटनम में सूखी गोदी (डाक)

*७७०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखपटनम "सूखी गोदी" के निर्माण के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं के रूप में काम करने के लिये इंजीनियरों की कौन सी फर्म नियुक्त की गई है; और

(ख) उनके साथ जो करार हुआ है उसकी शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) परामर्श लेने के विचार से यूनाईटेड किंगडम के सर्वश्री रेण्डले, पामर एण्ड दिटान को अस्थायी रूप से विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। इस समय योजना की केवल प्रारम्भिक जांच करने का काम उन्हें सौंपा गया है।

(ख) प्रारम्भिक रिपोर्ट की जांच के बाद ही शर्तें तय हो सकती हैं और इकरार-नामे को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिये २००० पौंड की रकम और कम्पनी के प्रतिनिधि का सफर और रहने का खर्च दिया जाना निश्चित हुआ है ।

श्री के० सी० सोधिया : वह एस्टिमेट जो तैयार करेंगे, उस एस्टिमेट की जांच करने के लिए क्या कोई विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जायगी ?

श्री सतीश चन्द्र : जो एस्टिमेट वह तैयार करेंगे उस पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड के डाइरेक्टर्स, जो एक्सपर्ट राय उन्हें मिल सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर चविार करेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : अभी हाल में ड्राई डाक बनाने क लिए कितने का एस्टिमेट किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : कम्पनी में ६०० फुट लम्बा और ६० फुट चौड़ा यह ड्राई डाक बनाने का जो एस्टिमेट दिया है वह २ करोड़ १५ लाख रुपये का है, लेकिन अभी उसकी जांच हो रही है।

डा० रामा राव : यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा, तथा मोटे रूप से उसका प्राक्कलित व्यय क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : कम्पनी ने एक प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया है जिसके अनुसार लागत २,१५,००,००० रुपये होगी। जाँच पड़ताल अभी जारी है, तथा अन्तिम प्राक्कलन अधिक या कम हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा "सूखी गोदी" के निर्माण कार्य को समाप्त होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

इंजीनियरों की गोष्ठी

*७७२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५५ में श्रीनगर में हुई इंजीनियरों की गोष्ठी में किन मुख्य प्रश्नों पर चर्चा की गई;

(ख) वहाँ कौन-कौन से निश्चय, यदि हुए हों तो, किये गये; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी गोष्ठियों में नदी-घाटी परियोजनाओं में रुचि रखने वाले कुछ ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). गोष्ठी के कार्य-क्रम तथा इंजीनियरों की समन्वय समिति के

द्वारा किये गये निश्चयों के संक्षिप्त अभिलेख की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पल रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ग) इंजीनियरों की गोष्ठी में ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को इस उद्देश्य से सम्मिलित किया जा रहा है कि वे उन विशेष मदों पर, जहाँ वे लाभदायक सलाह दे सकते हों, अपनी राय दे सकें।

श्री एल० एन० मिश्र : मालूम होता है कि गोष्ठी ने राष्ट्रीय निर्माण निगम बनाने की बात स्वीकार कर ली है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रयोजन के लिए इसका निर्माण किया जायेगा और कब वह काम करना शुरू कर देगा।

श्री हाथी : राष्ट्रीय निर्माण निगम बनाने की बात की चर्चा की गयी थी और उसका प्रयोजन यह था कि एक ऐसा निगम बनाया जाय जो देश के विभिन्न भागों में बहुत से बाँधों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करे। यह तो चर्चा की प्रारम्भिक अवस्था थी पर एक समिति नियुक्त की जा रही है जो इस बात का पता लगायेगी कि यह निगम कैसे कार्य करेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : मालूम होता है कि ग्राम विद्युतीकरण योजना की भी चर्चा की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को भी जानने का कोई प्रयत्न किया गया कि जिन राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं उनमें प्रथम पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार कितनी प्रगति हो गयी है?

श्री हाथी : ग्राम विद्युतीकरण बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। गोष्ठी के सामने यह प्रश्न था कि गाँवों में बिजली लगाने के काम में बहुत खर्चा होगा और जब तक सम्बन्धित राज्य सरकारें इसमें आर्थिक सहायता नहीं देंगी तब तक गाँवों में बिजली लगाने की योजना का पूर्ण होना संभव नहीं है। गोष्ठी ने इस मत का अनुमोदन किया और अन्त में राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी कि वे आगामी पंच वर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनायें भेजें।

श्री एल० एन० मिश्र : नदी घाटी परियोजनाओं के प्रशासन और संगठन के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। क्या गोष्ठी विद्यमान संगठन जैसे स्वयंत्तशासी निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के पक्ष में थी? क्या कोई नये सुझाव दिये गये थे?

श्री हाथी : इस बात पर विचार करने के लिए कि किस प्रकार का प्रशासन और संगठन अधिक सुविधाजनक और उपयुक्त-तम होगा, एक समिति नियुक्त की गयी थी। पर वह समिति किसी निश्चित परिणाम पर न पहुँच सकी। समिति अपना काम समाप्त नहीं कर सकी थी अतः इस प्रश्न का अन्तिम निश्चय वहाँ पर नहीं किया जा सका।

नन्दीकोंडा परियोजना

*७७३. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नन्दीकोंडा परियोजना के बाँध का शिलान्यास करने के लिए कोई तारीख निश्चित की गयी है?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : संभाव्य तारीख क्या हो सकती है और क्या शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है?

श्री हाथी : आन्ध्र सरकार की सूचना के अनुसार संभाव्य तारीख दिसम्बर में होगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री हाथी : आन्ध्र सरकार ने बताया है कि प्रधान मंत्री से प्रार्थना की गई है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस परियोजना के लिए मुख्य इन्जीनियर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है ?

श्री हाथी : शिलान्यास करने या वास्तविक बांध बनाने के पूर्व प्रारम्भिक निर्माण पूरा करना है, वास्तव में बाँध के ही निर्माण के पूर्व बहुत से काम करने हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ४ करोड़ रुपये आन्ध्र और हैदराबाद राज्यों को नहीं भेजे गये ताकि वे काम शूरू कर सकें ?

श्री हाथी : केवल ६ सप्ताह पूर्व एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया है और सम्मिलित निर्माण की प्रस्थापनायें वही भेजेगा। चूंकि अभी तक कोई प्रस्थापनायें नहीं आई हैं अत: मामले का अन्तिम निर्माण नहीं किया जा सका।

पासपोर्ट

*७७४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** २ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता दोनों देशों के बीच प्रवेश-पत्र (वीसा) नियमों में ढील देने के सम्बन्ध में हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्यमंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी हां। अप्रैल १९५५ में कराची में मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्ज़ा और श्री मेहर चन्द खन्ना के बीच हुई मीटिंग में यह तय किया गया था कि वर्तमान भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट और वीज़ा व्यवस्था को आसान बना देना चाहिये। पाकिस्तान सरकार की मंजूरी का इन्तज़ार है। दोनों सरकारों के बीच एक संशोधित स्कीम पर विचार किया जा रहा है और समाप्ति पर उसे जल्दी प्रकाशित कर दिया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई सुझाव पाकिस्तान सरकार को भेजा है जिस पर कि उनकी सम्मति की प्रतीक्षा की जा रही है ?

श्री सादत अली खां : जी हां, बातचीत हो रही है और जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि बातचीत खत्म होने पर वह सब सभा के सामने रख दी जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : आपने अभी बताया कि पाकिस्तान सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की सरकार ने कौन से ऐसे सुझाव भेजे हैं जिसकी स्वीकृति की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : इस मामले से मुताल्लिक हर किस्म के सुझाव किये हैं और उनको याद दिलाया गया है कि आप इन के मुताल्लिक जवाब दीजिये और जवाब का इंतज़ार है।

श्री बी० के० दास : क्या मैं उन मदों या प्रस्तावों के संबंध में कुछ जान सकता हूँ जिन पर चर्चा हो रही है?

श्री सादत अली खां : ऐसी अवस्था में उनके बारे में कुछ बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

सूडान को सहायता

*७७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान की सरकार ने भारत सरकार से सूडान में वस्त्र निर्माण संयंत्र लगाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं, उन्होंने सूडान में एक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के संबंध में योजना सर्वेक्षण करने के लिए एक या दो वस्त्र निर्माण विशेषज्ञों की सेवाओं की सहायता माँगी है।

(ख) सूडान सरकार को परामर्श देने और सहायता करने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सूडान सरकार ने अपने उद्योगीकरण में सहायता करने के लिए भारत सरकार से कोई प्रार्थना की है?

श्री कानूनगो : हमने केवल यही प्रस्ताव प्राप्त किया है। कोई अन्य प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है।

नारियल जटा बोर्ड

*७७७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नारियल जटा बोर्ड को कितनी राशि दी और अब तक वह राशि कैसे व्यय की गयी; और

(ख) क्या बोर्ड ने गवेषणा संगठनों और सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३३]**

(ख) जी हाँ।

श्री एस० सी० सामन्त : तदर्थ समिति ने कितने गवेषणा संगठन स्थापित किये?

श्री कानूनगो : तदर्थ समिति गवेषणा और सांख्यकी कार्यक्रम बनाने के लिए नियुक्त की गयी थी और उसने नारियल जटा बोर्ड के पास अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। नारियल जटा बोर्ड के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या त्रावनकोर-कोचीन की भांति अन्य स्थानों पर भी सहकारी संस्थायें बनाई जा रही हैं?

श्री कानूनगो : यह नारियल जटा बोर्ड का कार्यक्रम है। मुझे नहीं मालूम कि क्या इस बीच कोई संस्था स्थापित हुई है।

श्री एस० सी० सामन्तः अन्य देशों में नारियल जटा से बने सामान के उत्सर्जन के लिए क्या प्रचार कार्य किया जा रहा है?

श्री कानूनगो : वह काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

चाय

*७७८. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में चाय पर निर्यात शुल्क घटा कर आधा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) निर्यात शुल्क मार्च १९५५ में १० आने प्रति पौण्ड था जो अप्रैल और मई में ८ आने प्रति पौण्ड और जून तथा जुलाई में घट कर ४ आने प्रति पौण्ड हो गया था। अगस्त में शुल्क ६ आने प्रति पौण्ड है।

(ख) चाय पर निर्यात शुल्क की वर्तमान खण्ड पद्धति के अन्तर्गत शुल्क चाय के मूल्य पर निर्भर रहता है अतः चाय के मूल्य के साथ घटता-बढ़ता रहता है।

डा० रामा राव : निर्यात शुल्क की इस कमी से हमें कितनी राशि की हानि होती है ?

श्री करमरकर : यह इस बात पर निर्भर है कि चाय का मूल्य किस हद तक गिरता है।

डा० रामा राव : प्रकाशित विवरण को ध्यान में रखते हुये, जिसमें बताया गया है कि चाय बागानों के मालिक ६० प्रतिशत तक लाभ कमाते हैं, इस बात का क्या विशेष कारण है कि निर्यात शुल्क घटा दिया गया है ?

श्री करमरकर : लाभ का प्रश्न आयात तथा निर्यात शुल्क की वर्तमान प्रणाली के औचित्य से विभिन्न है। अब निर्यात शुल्क चाय के मूल्यों के घटने या बढ़ने के अनुसार ही लगाया जाता है ताकि किसी भी अवस्था में, निर्यात पर बहुत अधिक शुल्क का बोझ न पड़े या जब मूल्य बढ़ जायें तो ऐसी स्थिति न पैदा हो जाय कि हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ भी न मिले।

डा० रामा राव : क्या अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर पड़ने के कारण निर्यात शुल्क में कमी करना आवश्यक हो गया था ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं समझता था कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि जब मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और पहले से बढ़े हुये मूल्यों के मुकाबिले में निर्यात शुल्क बहुत थोड़ा रहता है तो जो अतिरिक्त लाभ होता है उसे सरकार नहीं लेती, बल्कि निर्यात करने वाले लेते हैं; और जब मूल्य घट जाता है तो पूर्व निश्चित निर्यात शुल्क घटे हुये मल्य के मुकाबिले में बहुत ज्यादा रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि निर्यात कम होने लगता है। अतः अपने निर्यात को स्थायी बनाने के लिए हमने यह नई प्रणाली निकाली है और यह सफल भी हो रही है।

श्री जोकीम आल्वा : उत्पादक को निर्यात शुल्क का लाभ उठाने की छट देते समय क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया था कि मूल्यों के बढ़ने पर भारतीय उपभोक्ता पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री करमरकर : मैं चाहता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इस संबंध में एक अलग प्रश्न रखें।

रूस से सहायता

*७७९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में जब वह रूस गये थे तो रूस ने भारत को कोई आर्थिक और शिल्पिक सहायता देने का प्रस्ताव किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई विशेष आर्थिक अथवा शिल्पिक सहायता न तो भारत ने मांगी और न रूस ने देने का प्रस्ताव किया। २२ जून को भारत के प्रधान मंत्री और रूस के मंत्रि-परिषद् के सभापति द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में आर्थिक सहयोग के परस्पर लाभ की बात कही गयी थी और दोनों प्रधान मंत्री आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक गवेषणा के संबंध में अपने देशों के संबंधों को बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के संबंध में सहमत थे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समझौते के अनुसार अब तक कौन-कौन सी बातों पर अमल हो रहा है और कितने विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में भारत आये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सिलसिले में तो वहां से कोई आया नहीं है, अभी यहां से उधर गये हैं। पहले तो मई में यहां से एक टीम गई थी, वह यूनाइटेड नेशन्स टेकनिकल ऐसिस्टेंस प्रोग्राम से सम्बन्ध रखती थी, जिसमें सोविएट रूस भी शामिल है। वह वहां पांच-छः हफ्ते रही, वह आई लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। अलावा इसके आप जानते हैं कि एक आयरन ऐंड स्टील कारखाने के बारे में भी उनसे बात चीत हुई है और इस सिलसिले में वहां से इंजीनियर्स आने वाले हैं।

781 L.S.D.—2

श्री एम० एल० द्विवेदी : हमारे जो इंजीनियर्स आयरन और स्टील के काम को सीखने के लिये वहां जा रहे हैं वह कब तक लौट कर आ जायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीखने तो वहां अब तक कोई नहीं गया है, वहां लोग गये हैं इस प्रोजेक्ट के लिये बात-चीत करने, इन्तजाम के लिये तफसीली बातचीत करने के लिये। अगर किसी को भेजने की जरूरत होगी तो वह बाद में जायेगा।

नेफा (उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण)

*७८०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण के बहुत से ऐसे व्यक्ति जो बहुत से हत्या के मामलों में शामिल हैं, भाग कर लापता हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन भागने वालों में से बहुतों को बर्मा की आपात सेना ने गिरफ्तार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) से (घ). ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का पता नहीं है जो बहुत से हत्या के मामलों और अन्य अपराधों में शामिल थे और बाद में लापता हो गये। उनमें से ६४ को बर्मा के प्राधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और हमारे पास भेज दिया था। उन में से ५० को इस कारण छोड़ दिया गया कि उन्होंने कोई बड़े अपराध नहीं किये थे और उन्होंने इस बात का भी वचन

दिया कि भविष्य में वे अपना आचरण ठीक रखेंगे । १४ व्यक्तियों पर अभी अभियोग चलने वाला है ।

श्री रिशांग किशिंग : इन लोगों ने कितने सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और सरकार के अन्य आदिम जाति समर्थकों की हत्यायें कीं ?

श्री जे० एन० हजारिका : इस संबंध में एक और प्रश्न है --प्रश्न संख्या ७८९-- और यदि आप अनुमति दें तो मैं उस प्रश्न का उत्तर पढ़ूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न संख्या ७८९, जो उनके नाम से है, पूछें ।

नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण)

*७८९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा पहाड़ियों के ज़िले और नेफ़ा के त्यूनसांग खंड में गड़बड़ को समाप्त करने के लिए बर्मा सरकार की सशस्त्र सेनायें भारतीय सरकार को सहयोग दे रही हैं ;

(ख) बर्मा की सशस्त्र सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा भारतीय सेना के हवाले कर दिए गए नागा लोगों की संख्या कितनी है ;

(ग) नागा पहाड़ियों और नेफा में जो गड़बड़ चल रही है, उस के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है ; और

(घ) दोनों पक्षों को अब तक माल तथा जान की कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) से (घ). बर्मा सरकार फरार हुए उन लोगों को पकड़ने में सहायता एवं सहयोग दे रही है जो भाग कर उनके राज्य में चले जाते हैं । उन्होंने ६८ फरार व्यक्तियों को भारत के हवाले कर दिया है । इन दिनों जो गड़बड़ चल रही है उसमें लगभग २५ व्यक्ति मारे गये हैं-- ५ आसाम राइफल्स, ५ भक्त ग्रामवासी और १५ शत्रु-पक्ष के सदस्य । जहां तक संपत्ति की हानि का सम्बन्ध है, एक भक्त और आज्ञाकारी गांव जिसमें ६० मकान और २५ अन्न-भांडार घर थे, जलाया गया और एक और गांव शत्रुओं द्वारा लूटा गया । एक कार्यालय और एक गोदाम भी जलाये गये । अब तक कुल ३३९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से २९३ व्यक्तियों से सदाचरण की लिखत ली गई है और उन्हें छोड़ दिया गया है । शेष ४६ में से एक को दो वर्ष का कारावास मिला है और ४५ पर अभी अभियोग चलने वाला है ।

मेरा विचार है कि मैंने अभी जो उत्तर पढ़ कर सुनाया है उससे प्रश्न संख्या ७८० पर माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर मिलेगा ।

श्री रिशांग किशिंग : ये हत्यारे किस दल या समुदाय के हैं और इनकी लगभग संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उनके दलों या समदायों का वर्णन करना बहुत कठिन है ; उन पर दल या समुदाय के प्रतीक या बिल्ले नहीं लगे होते ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इन लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इनके सम्बन्ध में ठीक जानकारी देना कठिन है क्योंकि ये दूर-दूर तक फैले हुए हैं । हमें यह बताया गया था कि इनमें से बहुतों के पास स्वयंचालित

अस्त्र थे, और, संभवतः, उस सारे क्षेत्र में इनकी संख्या ४०० या ५०० होगी।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि नागा राष्ट्र परिषद् के नेता श्री ए० जेड० फिजो आसाम के राज्यपाल और आसाम के मुख्य मंत्री से मिले थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। हमें यह पता चला है कि कोई शिष्टमंडल आसाम के राज्यपाल से मिला था, और तत्पश्चात् उन्होंने एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने हिंसा की भर्त्सना की थी, और लोगों से यह प्रार्थना की थी कि वे हिंसा को छोड़कर सरकार की उस प्रत्येक कार्यवाही का समर्थन करें जो वह हिंसा करने वालों के विरुद्ध करे।

श्री रिशांग किशिंग : नागा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निकाले गये वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय प्रधान मंत्री नागा पहाड़ियों से, यदि वहां के लोग चाहते हों, भेजे जाने वाले किसी शिष्टमंडल से अब मिलना चाहेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं किसी भी भारतीय राष्ट्रजन से कभी भी मिलने को तैयार हूं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*७८२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी लक्ष्यों, व्यय आदि के विषय में मुख्य विनिश्चय कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और प्रारूप रूपरेखा के देश के समक्ष रखे जाने की कब तक सम्भावना है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं। राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के परामर्श से द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य जारी है।

(ख) आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा नवम्बर, १९५५ के अन्त तक संसद् के समक्ष रख दी जायगी और टिप्पणियों के लिये प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : अब तक कितनी राज्य सरकारें योजना आयोग को अपनी योजनाएं भेज चुकी हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : लगभग सभी राज्य सरकारें अपनी योजनाएं भेज चुकी हैं और हम अब तक आठ राज्यों के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा भी कर चुके हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार निश्चित रूप से यह कह सकती है कि राज्य सरकारों ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में इस बात का ध्यान रखा है कि औद्योगिक विकास पर विशेष ज़ोर दिया जाये।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस बात का तखमीना किया गया है कि जो स्कीमें स्टेट सरकारों ने भेजी हैं उन पर कुल कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि जो योजनाएं राज्य सरकारों ने भेजी हैं बनायी हैं उन पर कुल मिलाकर ६,००० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और राज्य सरकारों और मिनिस्टरीज़ की योजनाएं यदि देखी जायें तो करीब करीब १२,००० करोड़ रुपये की योजनाएं होंगी।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या राज्य सरकारों ने योजनाओं के साथ-साथ योजनाओं की क्रियान्विति के लिये वित्तीय साधनों तथा उसकी उपलब्धता का भी कोई अनुमान बताया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : राज्य सरकारों के साथ हम जो बात-चीत कर रहे हैं उसका प्रयोजन यही पता लगाना है, क्योंकि हम यह मालूम करना चाहते हैं कि राज्य सरकारों के वित्तीय साधन क्या हैं और कर जांच आयोग की सिफ़ारिशें क्रियान्वित करके वे कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।

इस्पात

*७८४. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कितने इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को उसके इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये ऋण देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सन् १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार की उक्त प्रस्थापना पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५४ में १,२१४, ६६६ टन।

(ख) सम्बन्धित सार्थ द्वारा विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सारंगधर दास : क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋण के लिये आवेदन पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात तथा निर्यात बैंक (इम्पोर्ट एण्ड ऐक्सपोर्ट बैंक) को भेजा गया है ?

श्री कानूनगो : उन्होंने इस विषय में हमें कुछ नहीं बताया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार ने उक्त कम्पनी द्वारा कारखाने के विस्तार के लिये भेजी गई योजना पर अब कोई निर्णय कर लिया है ?

श्री कानूनगो : पहली विस्तार योजना तो स्वीकार की जा चुकी है और उस पर कार्य हो रहा है। यह प्रश्न दूसरी विस्तार योजना के सम्बन्ध में है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पहली विस्तार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन कितना होगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ७,५०,००० से लेकर ९,३०,००० टन तक तैयार इस्पात।

रासायनिक उर्वरक

*७८५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में रासायनिक उर्वरक की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के मुकाबले वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ; और

(ख) अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ख) १९५४ में मैसर्स सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड अमोनियम सल्फेट का उत्पादन पूर्ण निर्धारित उत्पादन क्षमता के अनुसार नहीं कर सकी। मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल (त्रावनकोर) लिमिटेड को, जो मोनियम सल्फेट और सुपर फ़ास्फ़ेट उत्पादित करते हैं, खुद बड़े मरम्मत कार्यों तथा बिजली की कमी के कारण तीन महीने बंद रहना पड़ा। सुपर फ़ास्फ़ेट का उत्पादन निर्धारित उत्पादन क्षमता से कम हुआ क्योंकि इस उर्वरक की मांग पर्याप्त नहीं थी।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं ?

श्री कानूनगो : एमोनियम सलफेट की जब ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर्स का देश में प्रचार करने के लिए क्या-क्या काम किये जा रहे हैं और क्या कारण है कि मांग पूरी नहीं रही है ?

श्री कानूनगो : राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार काफी प्रचार कर रही हैं और डिमांड भी बढ़ रही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : किस किस्म का प्रचार किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : यह प्रश्न अगर फूड ऐंड एगरीकल्चर मिनिस्टरी से पूछा जाए तो जवाब मिल सकता है।

पेप्सू में इस्पात संयंत्र

*७८६. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पप्सू सरकार ने राज्य में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रस्थापना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या विनिश्चय किया गया ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) कोई निश्चित प्रस्थापना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

छोटे पैमाने के उद्योग

*७८८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्थानों में छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ किये जाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र की है; और

(ख) अब तक किन प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सामग्री एकत्र की जा रही है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या इस सम्बन्ध में फोर्ड प्रतिष्ठान के टैकनिकल परामर्शदाताओं से भी परामर्श किया गया है ?

श्री कानूनगो : उनमें से कुछ तो चले गये हैं, हां, आर्थिक परामर्शदाताओं से परामर्श किया जा रहा है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन किया है ?

श्री कानूनगो : अभी नहीं।

निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति निगम

***३१८. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निर्यात प्रत्यय प्रत्याभूति निगम की स्थापना सम्बन्धी प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां तो, उसका ब्यौरा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं। जिन व्यापारियों से परामर्श किया गया था उनमें से कुछ की सम्मतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। जो सम्मतियां अब तक मिल गई हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु व्यापारियों को परिचालित योजना की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५]**

उद्योगों का विकास

***४९७. श्री तुलसीदास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक सामान्य उत्पादन कार्यक्रम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) सामान्य उत्पादन कार्यक्रम का उद्योगवार ब्यौरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी हां, कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]**

श्री तुलसीदास : क्या कुछ उद्योगों के लिए मूल्य अवलम्ब की नीति उद्योगों के सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवश्यक समझी जाती है ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : यह एक ऐसा उपाय हो सकता है जिसे कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और सामान्य उत्पादन कार्यक्रम का ध्येय पूरा करने के लिए अपनाना पड़े।

श्री तुलसीदास : उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन के लिए मूल्य अवलम्ब की योजनाएं तैयार की गई हैं ?

श्री नन्दा : इन मामलों पर विस्तार पूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या धान की कुटाई सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई है और उनकी राय मांगी गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी गई है और क्या उनकी प्रतिक्रियाऐं प्राप्त हुई हैं ?

श्री नन्दा : यही साधारण प्रक्रिया है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इस रिपोर्ट पर सदन में कब चर्चा होगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : जब सरकार इस पर विचार कर लेगी।

धुला हुआ कोयला

***७६४. श्री सारंगधर दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों में धुले हुए कोयले के उपयोग के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या धुले हुए कोयले के लिए मूल्य का ढांचा स्थायी या अस्थायी रूप से निश्चित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि निजी कोयला खानों ने कोयला धोने के कारखानों का काम रोक रखा है, क्योंकि मूल्य का ढांचा अभी तक निश्चित नहीं किया गया ;

(घ) यदि हां, तो इसका किस हद तक इस्पात संयंत्रों पर प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में तत्काल पग उठाने का विचार है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह नीति कि इस्पात संयंत्र धुला हुआ कोयला प्रयोग करें, सरकार ने स्वीकार कर ली है। इरादा यह है कि यदि निजी कोयला-खानों द्वारा स्थापित किये गये कोयला धोने के कारखानों से अपेक्षित मात्रा में धुला हुआ कोयला न मिला तो सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कारखाने स्थापित किये जायेंगे।

(ख) (लोडना कोयला-खान के धोने के कारखानों के) धुले हुए कोयले का मूल्य उचित श्रेणी के स्टीम कोयले के मूल्य के स्तर पर निश्चित कर दिया गया है किन्तु इसमें फेर बदल हो सकती है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सरकार पहले घोषणा कर चुकी है कि धोने के व्यय का हिसाब लगा कर कोयले के मूल्य में उचित फेर बदल किया जाएगा ।

श्री सारंगधर दास : क्या उत्पादन की योजनायें तैयार करने में नये इस्पात कारखानों को इस बात के कारण कोई कठिनाई हो रही है कि प्राधिकारी यह नहीं जानते कि धुले हुए कोयले का मूल्य क्या है और यह उन्हें कहां से लेना पड़ेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : जो निर्णय किया जा चुका है, उसके अनुसार रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों को धुला हुआ कोयला देने के लिए बोकारो और कारगाली कोयला खानों के निकट एक सरकारी संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका दैनिक उत्पादन ५५० टन होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के अधिक कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। यदि नये इस्पात कारखानों की मांग पूरी न हुई, तो ये शेष कोयले को धोने के लिए स्वयं धोने के कारखाने स्थापित करेंगे।

श्री सारंगधर दास : क्या यह अब ज्ञात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला-खान के मालिक कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसा नहीं है। लगभग ४० कोयला-खानों ने कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने के लिए प्रार्थनापत्र दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

तृतीय श्रेणी के क्लर्क

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५—श्री कासलीवाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के तृतीय श्रेणी के क्लर्कों ने अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए १६ अगस्त, १९५५ से 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या वे केन्द्रीय सचिवालय पुनर्गठन योजना के विरुद्ध हैं जिसके अनुसार उनकी वर्तमान श्रेणी की पुष्टि कर दी गई थी ;

(ग) क्या उन्होंने यह मांग की है कि एक असैनिक सेवा मध्यस्थ-निर्णय अधिकरण स्थापित किया जाये और औद्योगिक विवाद अधिनियम क्लर्कों पर भी लागू किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या पग उठाने का विचार है,

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). २२ जून को सरकार को तृतीय श्रेणी क्लर्क संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने यह इरादा प्रकट किया था कि यदि संघ की मांगें ७५ दिन के अन्दर अन्दर न मानी गईं, तो वे 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' शरू करेंगे। उसके बाद सरकार ने समाचारपत्रों में छपे समाचारों और संघ द्वारा छापे गये इश्तहारों में इस 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' का कार्यक्रम पढ़ा है। बताया गया है कि इस तथा-कथित 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' के अनुसार १२ और १३ तारीख को दो जलूस निकाले जायेंगे और १६ तारीख से क्लर्क उत्तरोत्तर कम कपड़े पहन कर कार्यालय में आया करेंगे। 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' का इरादा प्रकट करते हुए, संघ ने यह मांग की थी कि क्लर्कों की वेतनश्रेणी १००–१०–३०० तक बढ़ा दी जाय और केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना में संशोधन किया जाये। २२ जून के पत्र में मध्यस्थ-निर्णय अधिकरण या औद्योगिक विवाद अधिनियम की ओर कोई निर्देश नहीं था।

२. संघ से कह दिया गया है कि यद्यपि सरकार उपलब्ध वित्त की सीमाओं के अन्दर कम वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों के लिए उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक और अन्य सेवा की शर्तों की उचित व्यवस्था करना चाहती है, तथापि किसी प्रकार की 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' में भाग लेने की धमकी देना कर्तव्य और लोकहित के प्रतिकूल है। सरकार अधिक ऊंची वेतन-श्रेणियों की मांग पर विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह सरकारी रुपये के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है, इस प्रकार की वृद्धि से करदाताओं पर पड़ने वाले भार की उपेक्षा नहीं कर सकती ।

३. यद्यपि सरकार हर समय सब शिकायतों पर विचार करने के लिए तैयार है, वह प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी से झुक नहीं सकती। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखना और उनका आचरण ठीक रखना सरकार का कर्तव्य है और जहां भी आवश्यकता हुई उसे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे कम कपड़े पहन कर आना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी । क्या सरकार का सेवा के नियमों में संशोधन करने का विचार है, ताकि ये क्लर्क सचिवालय में कम कपड़े पहन कर न आएं ?

श्री दातार : जब भी ऐसी कार्यवाही की गई, तो सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री साधन गुप्त : क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने के लिए बार-बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया गया है और सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया ?

श्री दातार : यह सच नहीं कि उन की प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में, इस मामले में, उनकी शिकायतों पर विचार करने के बाद सरकार ने सब क्लर्कों को दो वेतन-वृद्धियां दी थीं और टाइप की परीक्षा पास कर लेने वालों को दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां दी थीं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि मांगें पूरी करने से अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। क्या सरकार ने इस अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाया है।

श्री दातार : यदि सब क्लर्कों का वेतन बढ़ाया जाये, तो अतिरिक्त व्यय १० करोड़ रुपये से अधिक होगा।

श्री एस० एल० सक्सेना : तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, क्या सरकार उनसे बातचीत कर के मामला निटपटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्हें १२० रुपये प्रतिमास पहले ही मिल रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने क्लर्कों के प्रतिनिधियों को चेतावनी दी थी और यदि हां, तो क्या यह समझौता हुआ है कि ये क्लर्क प्रदर्शन और प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री दातार : मैं जानता हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने उन्हें इस प्रकार की अवांछनीय कार्यवाही न करने की सलाह दी थी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या वे यह बात मानने के लिए तैयार थे ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : जहां तक उनके आचरण से पता चलता है, उन्होंने अबतक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : अभी माननीय उपमंत्री ने कहा है कि तृतीय श्रेणी के क्लर्कों को दो वेतन-वृद्धियां दी गई हैं। क्या यह सच है कि अधीनस्थ कार्यालयों में क्लर्कों को ये नहीं मिलीं ?

श्री दातार : ये केवल सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के क्लर्कों को दी गई हैं। अन्य लोगों को ये देना बहुत कठिन है।

प्रश्नों के (लिखित) उत्तर

मध्यपूर्व को व्यापार प्रतिनिधिमंडल

*७४२. { **श्री विभूति मिश्र** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २५ फरवरी १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यपूर्व के देशों को भेजे गये व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) वे सिफारिशें जिन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है, विचाराधीन हैं ।

मध्यपूर्व के देशों के साथ व्यापार

***७४३. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिड़ला मिशन की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद किन्हीं मध्य-पूर्व के देशों के साथ कोई व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत और मध्यपूर्व के देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध शताब्दियों से चले आ रहे हैं और अब भी कायम हैं ।

गत दिसम्बर-जनवरी में सरकार ने श्री एम० पी० बिड़ला के नेतृत्व में जो सद-भावना व्यापार मिशन भेजा था, उसने मध्यपूर्व के देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं और उन में से किसी के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

***७४४. श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित देशों के बीच एक नये अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के लिये बातचीत शुरू हुई है ;

(ख) यदि हां तो यह किसने शुरू की है ; और

(ग) बातचीत किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति ने ।

(ग) करार का प्रारूप सम्बन्धित देशों के विचाराधीन है ।

हथकरघे

***७४७. श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि १९५४-५५ में चालू और बेकार पड़े हुये हथकरघों की संख्या क्या थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि बेकार पड़े करघों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है ।

रूसी इस्पात संयन्त्र

***७४८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की रूस की यात्रा के दौरान में रूसी प्राधिकारियों के साथ, भारत में रूसी सहायता से स्थापित किये जाने वाले प्रस्थापित इस्पात संयन्त्र के बारे में बातचीत की थी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी नहीं ।

स्लीपर

***७५०. { श्री रघुनाथ सिंह : श्री पी० एन० राजभोज :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में अखनूर में चिनाब नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर जो एक लाख पचास हजार स्लीपर

पड़े हुये थे वे नदी में बह कर पाकिस्तान पहुंच गये ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्लीपर पाकिस्तान से वापिस मिल गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि सितम्बर, १९५४ और मई, १९५५ में भारी बाढ़ के कारण, लगभग डेढ़ लाख स्लीपर, चिनाब नदी में बह कर पाकिस्तान पहुंच गये ।

(ख) पाकिस्तान से कोई स्लीपर वापिस नहीं मिले हैं ।

वस्त्र उद्योग

***७५१. श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योगों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, जिसमें अलाभप्रद एककों की कार्यप्रणाली की जांच भी सम्मिलित है, हाल ही में किया जायेगा ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष कार्यालय स्थापित किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) देश के वस्त्र कारखानों का विशेषकर काम में आने वाली मशीनों की दशा का पता लगाने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जा रहा है । आशा यह की जाती है कि सम्बन्धित तथ्यों सम्बन्धी सूचना भी एकत्रित की जायेगी ।

(ख) यद्यपि इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त कर्मचारी रखे गये हैं किन्तु किसी कार्यालय विशेष की स्थापना नहीं की गई है ।

विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयंत्र

***७५२. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सौराष्ट्र में विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयन्त्र स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सौराष्ट्र के पोरबन्दर में २०० टन प्रति दिन की उत्पादन क्षमता वाले एक विक्षार भस्म (सोडा ऐश) संयन्त्र की स्थापना करने के लिये मार्च १९५५ में एक लाइसेंस दिया गया है । ख्याल है कि सितम्बर, १९५५ से सम्बन्धित सार्थ द्वारा इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जायेगी ।

रेडियो उद्योग

***७५६. श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेडियो उद्योग ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) १९५४–५५ में कुल कितने रेडियो सेट बनाये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) भारत में रेडियो उद्योग का विकास पूर्णतः युद्धोत्तर काल से हुआ है और गैर-सरकारी क्षेत्र इसे चला रहा है । १९४७ में यहां केवल दो कारखाने रेडियो के पुर्जों को जोड़ कर रेडियो तैयार करने का कार्य करते थे जिन की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ८,००० रेडियो सेटों की थी । इस समय १,३८,१०० सेट प्रति वर्ष की क्षमता वाले १५ ऐसे संगठित एकक हैं, यद्यपि निर्माताओं का दावा है कि उन की क्षमता २,६७,८००

सेट प्रति वर्ष है। रेडियों सेटों का वास्तविक निर्माण १९४७ में ३०३३ से बढ़ कर १९५४ में ५६,६०३ हो गया है।

(ख) १९५४–५५ में ५७,०७७ रेडियो सेट बनाये गये थ।

चीनी मिट्टी के दांत

*७६०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कुल कितने मूल्य के चीनी मिट्टी के दांतों का आयात किया गया ;

(ख) किन देशों से उनका प्रमुख रूप से आयात किया जाता है ;

(ग) इस देश में उसी प्रकार के दांत निर्माण के लिये कोई कार्यवाही की गई ; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि चीनी मिट्टी के दांत सम्बन्धी आंकड़े आयात व्यापार के आंकड़ों में अलग नहीं दिखाये जाते।

(ग) और (घ). चीनी मिट्टी के दांत बनाने वाले संयन्त्र का आयात करन के लिये दिल्ली की एक सार्थ को १९५३ में लाइसेंस दिया गया था। संयन्त्र का कुछ भाग आ गया है और आशा है कि ६ से ८ महीनों में दांतों का बनना प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री वी० के० कृष्ण मेनन का चीन, इंगलिस्तान और अमरीका का दौरा

*७६१. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** श्री वी० के० कृष्ण मेनन के जून १९५५ के चीन, इंगलिस्तान और अमरीका के दौरे का प्रयोजन बताने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्री कृष्ण मेनन को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में तथा वैसे भी सरकार की ओर से महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विभिन्न सरकारों से बातचीत करने के लिये नियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष हिन्द-चीन सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन में उनकी उपस्थिति बड़ी सहायक सिद्ध हुई थी तत्पश्चात् उन्होंने इन समस्याओं तथा अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अमरीका, इंगलिस्तान, कनाडा और चीन के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। उन्होंने पेकिंग का दौरा प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई के निमंत्रण पर किया था

हिन्द-चीन

*७६३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द-चीन के तीन अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोगों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिवेदन किस प्रकार के हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) भारत सरकार को वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया के पर्यवेक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों से निम्नलिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं :

(१) वियतनाम के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अन्तरिम प्रतिवेदन जो क्रमशः ११-८-५४ से १०-१२-५४ तक, ११-१२-५४ स १०-२-५४ तक और ११-२-५५ से

१०–४–५५ तक के सम्बन्ध में हैं ।

(२) लाओस के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन ।

(३) कम्बोडिया के अंतर्राष्ट्रीय आयोग के प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदन जो क्रमशः ११–८–५४ से ३१–१२–५४ तक और १–१–५५ से ३१–३–५५ तक के समय के सम्बन्ध में हैं ।

(ख) प्रतिवेदनों में तीनों आयोगों की गति विधि का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि २० जुलाई १९५४ को जनेवा में जिन युद्ध विराम करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे उन्हें कार्यान्वित करने में आयोगों को कितनी सफलता मिली है और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ।

पान

***७६५. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक पाकिस्तान को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के पान निर्यात किये गये ; और

(ख) किन किन राज्यों से ये पान निर्यात किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक की अवधि में ५६,५५४ रुपये मूल्य के पान पाकिस्तान को निर्यात किये गये थे । पान कितनी मात्रा में निर्यात किये गये और किन राज्यों से निर्यात किये गये, इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बाढ़ नियंत्रण

***७६६. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ते देशी सामान जैसे बांस, घास और पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके बाढ़ नियन्त्रण के जापानी तरीके को काम में लाने की सम्भावना पर जांच-पड़ताल की है ;

(ख) इस आधार पर प्रयोग किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रयोग कहां किये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). चीन में ऐसा सामान एक सर्वथा अस्थायी उपाय के रूप में किनारों की रक्षा के लिये काम में लाया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय के रूप में नहीं । ऐसा यहां भी किया जा रहा है ।

नाभिकीय रीएक्टर

***७६९. श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार, एक नाभिकीय रीएक्टर के होते हुए भी जो अब बम्बई में स्थापित किया जा रहा है, एक दूसरा नाभिकीय रीएक्टर स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) इसकी स्थापना किस स्थान पर होगी ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) बम्बई के पास ट्राम्बे में अणु शक्ति संस्था के निकट ।

(ग) लगभग तीन करोड़ रुपये, किन्तु लागत बहुत कुछ अन्तिम डिज़ाइन पर निर्भर करेगी ।

ब्रिटिश जेट लड़ाकू विमान

*७७१. { **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों में कितने ही ब्रिटिश जेट लडाक विमानों और बम बरसाने वाले विमानों को भारतीय हवाई अड्डों से होकर निकलने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी और सरकार के द्वारा उनको क्या सुविधायें दी गई थीं ; और

(ग) इन उड़ानों का प्रयोजन क्या था और उनके गन्तव्य स्थान कौन से थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). पिछले तीन महीनों में चालीस आर० ए० एफ० जेट लड़ाकू विमानों और बम बरसाने वाले विमानों को भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दी गई थी ।

पेट्रोल भरने तथा वायु यातायात नियंत्रण सम्बन्धी सामान्य सुविधायें आर० ए० एफ० विमानों को भारत से होकर जाते समय हवाई अड्डों पर दी गई थीं । आर० ए० एफ० वायु यातायात नियंत्रण पदाधिकारियों को इन विमानों के उतरने का पर्यवेक्षण करने की अनुमति भी दी गई थी क्योंकि यह एक उच्च प्रविधिक कार्य था ।

(ग) इन विमानों का गन्तव्य स्थान इंगलिस्तान से सिंगापुर अथवा सिंगापुर से मौरीपुर तथा वापस लौट जाना था । इनको सामान ले जाने के लिये रखा गया था । एक अवसर पर केवल एक यात्री को छोड़कर उनमें यात्री नहीं थे । जहाज़ के सामान में केवल निजी सामान था ।

आर० ए० एफ० विमान को भारत से होकर जाने की सुविधायें भारतीय वायु बल तथा उनके विमान द्वारा इंगलिस्तान में प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं के बदले में दी जाती हैं । ऐसी कुछ सुविधायें आपसी प्रबन्ध के द्वारा अन्य देशों को भी दी जाती हैं ।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एशिया के लोग

*७७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एशिया का सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व करने के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रस्थापना स्वीकार कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों को अब कितनी प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले दो अधिवेशनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सभापति, श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कर्मचारी वर्ग में एशियाई देशों का अधिक और न्यायोचित प्रतिनिधित्व किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है और इसकी आवश्यकता पर ज़ोर दिया है । संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अधिक न्यायोचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है । संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कर्मचारी वर्ग में भारत तथा अन्य एशियाई देशों के लोगों की संख्या तथा स्तर सम्बन्धी वर्तमान स्थिति से भारत सरकार सन्तुष्ट नहीं है । इस मामले में अभी आगे कार्यवाही की जा रही है और हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत तथा अन्य

एशियाई देशों के दावों पर और जोर दिया जायेगा ।

(ख) प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता सम्बन्धी आंकड़ों से सचिवालय में एशियाई देशों अथवा भारत के स्थान का ठीक पता नहीं चल सकेगा क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस स्तर के पदों पर रहे तथा जिनकी प्रतिशतता निकाली जा रही है उनकी कुल संख्या क्या थी । ३१ अगस्त १९५४ को सचिवालय में ४८ पदों पर भारतीय नियुक्त थे जिनमें कोई उच्चतम स्तर का पद नहीं है और केवल दो मुख्य पदाधिकारियों की श्रेणी में हैं । सचिवालय में एशियाई और अफ़िकियों की कुल संख्या १७९ है जिनमें से छः मुख्य पदाधिकारियों की श्रेणी में हैं । इसमें चीन भी सम्मिलित है जिसका प्रतिनिधित्व अब फारमूसा के प्राधिकारी कर रहे हैं, और जिसके पास सचिवालय में ५१ पद हैं जिनमें से तीन मुख्य पदाधिकारियों की श्रेणी के हैं।

प्रतिकर

*७८१. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सभी श्रेणियों के विस्थापितों को कब तक प्रतिकर का भुगतान कर देने की आशा करती है ; और

(ख) क्या सरकार ने प्रतिकर के भुगतान में शीघ्रता करने की दृष्टि से बन्धपत्र जारी करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) प्रति कर के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं और ऐसे आवेदनों को देने की अन्तिम तिथि २६ सितम्बर १९५५ है । इस अवस्था में यह कहना कठिन होगा कि सभी श्रेणियों को प्रतिकर का भुगतान करने में कितना समय लगेगा, किन्तु भुगतान में शीघ्रता करने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ख) नहीं ।

पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार

*७८३. **श्री जेठालाल जोशीः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी अफ्रीका के यूगांडा, कीनिया, टांगानिका और जंजीबार जैसे देशों को भारत से कितना माल भेजा जाता है ;

(ख) पिछले दो वर्षों की निर्यात की तुलना में इस बार का निर्यात कम है या अधिक ; और

(ग) यदि पूर्वी अफ्रीका को भेजे जाने वाले माल की मात्रा घट रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमशः १४.२९ करोड़ रुपये, १५.१४ करोड़ रुपये और १७.५ करोड़ रुपये का माल भारत से पूर्वी अफ्रीका भेजा गया । इस से स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों को भारत से निर्यात बढ़ रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का निःशस्त्रीकरण आयोग

*७८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के निःशस्त्रीकरण आयोग ने "हथियार बन्दी बन्द करने" के सम्बन्ध में भारत की प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग ने इस सम्बन्ध में संघ की महा सभा को क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). महासभा ने इस सम्बन्ध में भारत की प्रस्थापना विचार के लिये निःशस्त्रीकरण आयोग को भेजी थी। जहां तक मालूम हो सका है, अभी आयोग ने इस पर विचार नहीं किया है। निःशस्त्रीकरण का सारा प्रश्न, इसके विभिन्न पहलू और इसके सम्बन्ध में विभिन्न देशों की प्रस्थापनायें आयोग के विचाराधीन हैं और कोई अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं।

सीमेंट के कारखाने

***३४३. श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार में चार सीमेंट के कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) बिहार सरकार ने हाल ही में अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेंट का एक कारखाना खोलने की प्रस्थापना भेजी है। जिन स्थानों की यह कारखाना खोलने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है उन में से एक भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है

डम्बारू जल प्रपात

३५७. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में त्रिपुरा में स्थित डम्बा जल प्रपात के सम्बन्ध में १९४८ में की गई जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिए **परिशिष्ट, ५, अनुबन्ध संख्या ३८**]

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटिड

३५८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी के उर्वरक कारखाने कि प्रारम्भ से अब तक, इसके परीक्षण विभाग में कितने कारीगरों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १९४।

चीन-नेपाल संधि

३५९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीन और नेपाल के बीच में कोई संधि हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई सन्धि नहीं हुई है। लेकिन नेपाल और चीन की सरकारों ने एक इत्तलानामा (घोषणा) छापा है जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध राजदूतों के द्वारा कायम होगा। चीन और नेपाल के राजदूत जो भारत में हैं वही नेपाल और चीन में भी राजदूत होंगे। भारत सरकार इस समझौते का जो भारत के दो पड़ोसी मित्र देशों में हुआ है, और इस घोषणा का कि उनका सम्बन्ध पंचशील के अनुसार होगा, स्वागत करती है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड

३६०. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विभिन्न विभागों में कितने विदेशी काम कर रहे हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : आजकल हिन्दुस्तान शिपयार्ड में ६ फ्रांसीसी

टेकनीशियन निम्नलिखित पदों पर काम कर रहे हैं :

(क) टेक्नीकल निदेशक एक

(ख) मुख्य शिपयार्ड प्रबन्धक एक

(ग) उत्पादन प्रबन्धक एक

(घ) आउटफिट इंजनीयर (हलशाप) एक

(ङ) नियंत्रण इंजनीयर (आउटफिट) एक

(च) कारखाना पर्यवेक्षक एक

(छ) हल और आउटफिट के नकशे बनाने के कार्यालय में नकशे बनाने वालों (ड्राफ्ट्स-मैनों) के पर्यवेक्षक दो

(ज) मोल्ड लाफ्ट और इरेक्शन पर्यवेक्षक एक

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

३६१. **श्री इब्राहीम :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में विस्थापित व्यक्तियों को जो ऋण दिये उन की कुल राशि कितनी है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में इन ऋणों की कितनी राशि ऋण लेने वालों ने लौटाई ;

(ग) प्रत्येक वर्ष में इन ऋणों पर कुल कितना ब्याज बनता था ;

(घ) ३१ मार्च, १९५५ को कुल कितना ऋण बकाया था ; और

(ङ) इस तिथि को कुल कितना ब्याज बकाया था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ङ). यह जानकारी फौरन नहीं मिल सकती। इसे इकट्ठा करने में समय और परिश्रम अधिक होगा परन्तु इसका फल इतना नहीं होगा।

आकाशवाणी

३६२. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र के कार्य-क्रमों में भाग लेने के लिये कितने कलाकारों को आमंत्रित किया गया था ; और

(ख) उन में से अन्य राज्यों से कितने कलाकार आये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १७६९ ।

(ख) ९५ ।

हथकरघा

३६३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक प्रत्येक राज्य में विक्रय केन्द्रों (सेल्स डिपो) को हथकरघे के कपड़े पर छूट के रूप में कितनी कितनी राशि दी गई ; और

(ख) अगस्त १९५५ तक हथकरघे का कितना कपड़ा बाहर भेजा गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) यह जानकारी प्राप्य नहीं है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि राज्यों को १९५५ में (१० अगस्त तक) छूट योजना के लिये कितने कितने अनुदानों की मंजूरी दी गई। [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]

(ख) मई, १९५५ के अन्त तक २ करोड़ ५ लाख गज़। जून और जुलाई १९५५ में कितना कपड़ा बाहर भेजा गया, इसके ठीक ठीक आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं।

नाहन फाऊंड्री

३६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नाहन फाऊंड्री के इन्जीनियरिंग विभाग को अलग करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंका में भारतीय

३६५. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में भारतीय उद्भव के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने जुलाई, १९५४ के बाद भारतीय राष्ट्रजन के रूप में रजिस्टर किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ४००७।

शीरा

३६६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितना शीरा देश से बाहर भेजे जाने के लिये उपलब्ध है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ३ हज़ार टन।

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में तावंग मठ

३६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण में तावंग मठ में तिब्बत के जो धर्माधिकारी थे उन के स्थान में स्थानीय व्यक्ति रख लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब उस मठ और उसकी तिब्बती पुस्तकों और साहित्य का प्रबन्ध कैसे किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तिब्बत के धर्माधिकारियों के स्थान में स्थानीय लोग रखे गये हैं, यह परिवर्तन लोगों ने स्वयं ही किया।

(ख) मठ के प्रबन्ध के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मठ के अधिकारी तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं :

(१) लबरांग—जो कि धार्मिक कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।

(२) डाचांग—जो मठ की सम्पत्ति की देख भाल करते हैं।

(३) नयीरस्टांग—जिन के प्रभार में मठ का राशन रहता है।

लबरांग अधिकारियों की जिम्मेदारी यह भी है कि वे मठ के पुस्तकालय की देखभाल करें।

पांडीचेरी का प्रशासन

३६८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडीचेरी सरकार ने जो (प्रारम्भिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के) अध्यापक रखे हुये हैं आजकल उन्हें प्रति मास कुल कितना पारिश्रमिक मिलता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि विधिवत रूप से शक्ति हाथ में आने के बाद भी यही पारिश्रमिक दिया जाता रहेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क)

पद	मासिक वेतन	
प्रारम्भिक शिक्षा	**प्रारम्भ में**	**अधिकतम**
१. भारतीय भाषा के अध्यापक	९६	२४६
२. अंग्रजी के अध्यापक तीसरी श्रेणी	९६	२४६
३. फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक	१०२	२७८
माध्यमिक शिक्षा		
१. अंग्रेजी के अध्यापक दूसरी श्रेणी	१०२	२७८
२. अंग्रेजी के अध्यापक प्रथम श्रेणी	१४८	३८६
विश्वविद्यालय		
१. पांडीचेरी में उपाधि प्राप्त सहायक प्रोफेसर	१८०	५३६
२. फ्रांस में उपाधि प्राप्त सहायक प्रोफेसर	५५०	१३१८

प्रत्येक अध्यापक और प्रोफेसर को इन वतनों के अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे के लिये १० रुपये प्रति मास की दर से परिवार भत्ता भी दिया जाता है ।

(ख) इस प्रश्न पर सत्ता के विधिवत रूप से हाथ में आने पर विचार किया जायेगा ।

भारत में भतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

३६९. श्री ए० के० गोपालन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में सत्ता हस्तांतरण के बाद से छात्रों को दोपहर को दिये जाने वाले मुफ्त भोजन की मात्रा या प्रकार में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण ह और यह कमी कहां तक की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

३७०. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में भारत में कितनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां हुईं ; और

(ख) इन प्रदर्शनियों में किन किन देशों ने भाग लिया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) केवल एक ।

(ख) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

विमान द्वारा निर्यात

३७१. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से जून १९५५ की कालावधि में कितने टन व्यापारी माल विमान द्वारा अफगानिस्तान को निर्यात किया गया और अफगानिस्तान से कितना आयात किया गया और वह कितने मूल्य का था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा औ इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) अप्रैल-मई १९५५ की अवधि में विमान द्वारा

भारत से अफगानिस्तान को १,३७,००० रु० का निर्यात हुआ और अफगानिस्तान से भारत को ६,००० रु० का आयात हुआ । जून १९५५ में विमान द्वारा हुये निर्यात व आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

विमान द्वारा भारत से अफगानिस्तान को तथा अफगानिस्तान से भारत को जो सामान निर्यात व आयात किया गया, उस सामान के परिमाण सम्बन्धी आंकड़े भी टनों म उपलब्ध नहीं हैं ।

छापेखाने

३७२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी छापेखानों में ग़ैर-सरकारी काम भी होता है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५३–५४ और १९५४–५५ में गैर सरकारी कामों से कितनी आय हुई ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के फोटो-लिथो प्रेस के फोटो विभाग को छोड़ कर, जहां गांधी स्मारक निधि जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं का फोटो स्टेटिंग और माइक्रोफिल्मिग का काम होता है, भारत सरकार के छापेखानों में कोई गैर सरकारी काम नहीं किया जाता ।

(ख)—

	१९५३–५४	१९५४–५५
छपाई	—	—
फोटोस्टेटिंग और माइक्रो-फिलिंमग	१३,१२७ रु०	५,७७० रु०

विद्युत विकास योजनाएं

३७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने अब तक कितनी कितनी विद्युत विकास योजनायें भेजी हैं ;

(ख) कितनी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और उन में से कितनी पूरी की जा चुकी हैं ;

(ग) क्या बाकी की योजनाओं के पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही पूरे किये जाने की आशा है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विद्युत विभाग ने छोटे नगरों और गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं पर भी विचार किया ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(घ) जी हां । इस विभाग ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में टेक्नीकल राय योजना आयोग को दी ।

प्रदर्शनियां

३७४. **श्री राधा रमण** : *क्या* **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५५ में दूसरे देशों की प्रदर्शनियों में भाग लेने के सम्बन्ध में उनके निमंत्रण स्वीकार कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने ये निमंत्रण दिये हैं;

(ग) ये प्रदर्शनियां किस प्रकार की होंगी और भारत का उनमें कैसी वस्तुएं भेजने का विचार है; और

(घ) ये प्रदर्शनियां किन किन स्थानों में होंगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]

कोयला आयुक्त का विभाग

३७५. **श्री साधन गुप्त** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मुख्य शर्तों के पूरा होने पर किसी विभाग के स्थायी होने की घोषणा की जाती है; और

(ख) क्या कोयला आयुक्त का कार्यालय ये शर्तें पूरी करता है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) मुख्य शर्त यह है कि विभाग का कार्य स्थायी प्रकार का हो।

(ख) कोयला आयुक्त के संगठन का जो भाग सरकारी कोयला खानों के के उत्पादन से सम्बन्ध रखता है, वह तो उपरोक्त शर्त को पूरी करता है परन्तु बाकी का संगठन नियंत्रणों को लागू करने के लिये बनाया गया था। वह स्थायी प्रकार का नहीं है। फिर भी इस विभाग के स्थायी बनानें की घोषणा करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ग्यान्त्सी दुर्घटना

३७६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के उन लगभग चालीस कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों (उत्तराधिकारियों) को कोई क्षति-पूर्ति दी गई है, जिन्होंने ग्यान्त्सी व्यापार एजेन्सी में बाढ़ के फलस्वरूप गत वर्ष अपने परिवारों के सदस्यों सहित जा गवा दीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि दी गई और क्षतिपूर्ति की अधिकतम और न्यूनतम राशि कितनी थी; और

(ग) यदि अभी तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है, तो उसके कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां।

(ख) सिक्किम में पोलिटिकल अफसर को हमारे कर्मचारियों की तात्कालिक सहायता के लिये १३,००० रु० दिये गए थे। ग्यान्तसी में व्यापारी एजेंट के परिवार के सदस्यों की मदद के लिये २५०० रु० विशेष अनुदान के रूप में मंजूर किये गए थे। भारतीय व्यापारी एजेंट के पुत्र के लिये जो लन्दन में पढ़ रहा था, ७,००० रु० और भी प्रधान मंत्री की स्वैच्छिक निधि में से दे दिये गये थे।

(ग) मरे हुये व्यक्तियों के परिवारों को पेन्शन और उपहार ग्रेचुटी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

उर्वरक

३७७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) आन्ध्र में प्रति वर्ष कितने उर्वरक की खपत होती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) अमोनियम सल्फेट ३६४,६३६ टन, सुपर फ़ोस्फेट १०२,७३० टन ।

(ख) लगभग ८०,००० टन जिस में से ७०,००० टन तो अमोनियम सल्फेट है और बाकी सुपर फास्फेट और यूरिया आदि उर्वरक ।

नेफा (उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण)

३७८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कुछ उच्च पदाधिकारी हाल ही में नेफा के त्वेनसांग विभाग और नागा पहाड़ियों के क्षेत्र को देखने गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन के वहां जाने का प्रयोजन क्या था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ट पदाधिकारी इस वर्ष मार्च में त्वेनसांग गये थे क्योंकि वे अन्य विभागों में पहले जा चुके थे और उन्होंने केवल इस क्षेत्र को नहीं देखा था । उन का वहां जाने का प्रयोजन स्थानीय समस्याओं का परिचय प्राप्त करना औ सड़कों, स्कूलों, औषधालयों के निर्माण और विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासर कर्ताओं के साथ बातचीत करना था ।

कपास के वायदे के सौदे

३७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के वायदे के सौदों की अनुज्ञप्ति के लिये चालू वर्ष में अब तक वायदा बाजार आयोग को कितने प्रार्थना पत्र मिले हैं ;

(ख) ये प्रार्थना पत्र किन राज्यों से आये हैं ; और

(ग) अब तक किन राज्यों को कपास के वायदे के सौदों के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३० ।

(ख) बम्बई, मध्य हैदराबाद, प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत, सौराष्ट्र, पैप्सू, राजस्थान अजमेर और दिल्ली ।

(ग) बम्बई ।

कच्चो मेंगनीज

३८०. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में कुल कितने मूल्य का कच्चा मेंगनीज निर्यात किया गया है ;

(ख) आन्ध्र और मध्य प्रदेश राज्यों में १९५१ के पश्चात् कुल वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ; और

(ग) भारत में वर्तमान में कितने फेरो मेंगनीज (लौह-मेंगनीज) संयंत्र विद्यमान हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ५,२०,४४,०९० रुपये ।

(ख)	आन्ध्र	मध्य प्रदेश
१९५१ में	६६,३५५ टन	७००,७६९ टन
१९५२ में	११५,६१७ टन	७४९,४५६ टन
१९५३ में	२१९,०२४ टन	९१४,८८३ टन

(इसके पश्चात् के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

(ग) केवल फेरो मेंगनीज के उत्पादन के लिये कोई संयंत्र नहीं है किन्तु आन्तरिक मांग के अधिकांश भाग की पूर्ति के लिये टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी, द्वारा

जमशेदपुर में पिघलाने वाली भट्टी में आजकल फेरो मेंगनीज का उत्पादन किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में आदिमजातीय परिवार

३८१. श्री दशरथ देव : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिमजाति के लोगों की भूमि के एक बड़े खण्ड पर खोवाई डिविजन (त्रिपुरा) के बालूचारा में विस्थापित व्यक्तियों ने बलात अधिकार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक बार अभ्यावेदन करने पर भी स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
१६ अगस्त, १९५५

18/4/83

Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3.4.92
Fumigated
On 11.1.83
Parliament Library

Vol. 6. दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर '१९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

स्तम्भ

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०

राज्य-सभा से सन्देश २१४०-४१

एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . . २१४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४

खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०

खान नियम १९५५ . . . . २२४०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१

कशाघात उत्सादन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०

खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३

खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१

राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२, २४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२८

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . .

लोक-सभा

मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०७ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

गोआ के स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति

अध्यक्ष महोदय : गोआ स्वतंत्रता आंदोलन संबन्धी सरकार की नीति के विषय में दो स्थगन प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं जो सरकार की नीति को दोषपूर्ण बताते हैं। यदि वे माननीय सदस्य जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव रखे हैं इस संबंध में सरकार की आलोचना करना चाहते हैं तो उन्हें कोई और ढंग अपनाना होगा क्योंकि इस प्रश्न पर अभी हाल ही में वाद-विवाद हो चुका है और परिस्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ है।

स्थगन प्रस्ताव की अपनी सीमायें हैं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय केवल इतना ही होता है कि किसी विषय पर वाद-विवाद हो सके। ऐसा वाद-विवाद अभी हाल ही में हो चुका है। यदि वे

निंदा का प्रस्ताव रखें और यह कहें कि उन्हें सरकार में विश्वास नहीं है तो उसे पहले अवसर दिया जा सकता है

श्री कामत (होशंगाबाद) : स्थिति ने एक नई करवट ली है।

अध्यक्ष महोदय : जब आंदोलन की गति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी घटनायें रोज़ होंगी। इतने लम्बे वाद-विवाद के बाद अब कुछ शेष नहीं रहा है। सरकार की नीति क्या होनी चाहिये इस संबंध में भी विरोधी पक्ष अपने सुझाव दे चुका है। यदि वे फिर भी सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं हैं तो सीधा रास्ता यह है कि वे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखें परन्तु गोआ में किसी दुःखद घटना के होते ही बार-बार स्थगित प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है।

परन्तु इस संबंध में जनता बहुत उत्तेजित है इसलिये यह बताते रहने के लिये कि सरकार क्या करना चाहती है और इस संबंध में सरकार का रवैय्या क्या है मैं सभा के माननीय नेता से प्रार्थना करता हूं कि वह समय-समय पर सभा के सामने बयान देते रहें जिससे कि सभा को गोआ संबंधी घटनाओं की अधिकृत जानकारी प्राप्त होती रहे। मैं उनसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि यदि सरकार की नीति में इन घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप कोई परिवर्तन हुआ हो तो वह उसे

[अध्यक्ष महोदय]

भी व्यक्त करता रहूँ। जिससे कि जनता की उत्तेजना कम होती रहे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैंने आपके सुझाव के अनुसार इस बात का प्रयत्न किया है कि कभी-कभी वक्तव्य देकर सभा को और इस विषय में दिलचस्पी लेने वाले सदस्यों को अनौपचारिक बात-चीत के द्वारा जानकारी देता रहूं कल की घटनाओं के संबन्ध में निश्चित जानकारी देना कठिन है। समाचार पत्रों ने भी हताहतों की संख्याओं के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिये सबसे उपयुक्त स्थान बम्बई है और बम्बई से अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार १५ व्यक्ति मरे हैं और २८ घायल हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह अन्तिम आंकड़े हैं। परन्तु इसी से पता चलता है कि ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना कितना कठिन है, क्योंकि यह घटनायें पुर्तगाली राज्यक्षेत्र में हुई हैं और उन को देखने वाले केवल वही लोग थे जो वहां गये थे। किसी भारतीय संवाददाता को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इनमें कुछ घटनायें कभी-कभी सीमा के इधर से देखी जा सकती थीं या जो कुछ इधर उधर कुछ विदेशी संवाददाताओं ने देखा है उससे जान सकते हैं। अभी तक हमें यही पता चला है कि १३ व्यक्ति तो घटनास्थल पर ही मर गये और दो व्यक्ति भारतीय राज्य-क्षेत्र में स्थित अस्पताल में मर गये। एक संभावना यह है कि कैसिल रॉक क्षेत्र की एक सुरंग में और अधिक मृत्युएं हुई हों क्योंकि यह लोग एक रेल की सुरंग से होकर जा रहे थे और एक मोड़ पर पहुंचते ही गोलियों की बौछार हुई बहुत से व्यक्ति गिर गये कुछ मरे कुछ घायल हुए। परन्तु यह जानना कठिन है कि घायल होने वालों और मरने वालों की संख्या कितनी है। एक कठिनाई इसलिये भी है कि बहुत से लोग गये थे उनमें से कुछ ढकेल कर पीछे लौटा दिये गये और कुछ गोलीकाण्ड के बाद लौट आये। कुछ को पुर्तगालियों ने गिरिफ्तार कर लिया या रोक लिया और जब ऐसा किया गया तो विचार यही किया गया कि वे गोलीकाण्ड में मारे गये हैं।

सत्याग्रहियों ने कई स्थानों से प्रवेश किया था, गोआ क्षेत्र के आस-पास से भी और उत्तर में डामन के पास से भी। जहां तक पता चला है ड्यू में कोई गोली काण्ड नहीं हुआ। ८१ व्यक्ति वहां गये थे परन्तु, उनका क्या हुआ यह अभी तक पता नहीं चला है। कुल २००० व्यक्तियों ने प्रवेश किया था। उन में से ८०० व्यक्तियों के संबन्ध में आज प्रातःकाल तक की जानकारी यह है कि न तो वे वापस आये हैं और न उन्हें ढकेल कर बाहर किया गया है। समाचार पत्रों में जो संवाद छपे हैं उनमें माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश स्थित सागर की एक महिला सुभद्रा बाई का नाम पढ़ा होगा। जब पहला गोलीकाण्ड हुआ तो सत्याग्रही संगठन कर्ताओं के आदेश के अनुसार लेट गये। उस के बाद जब सब उठे तो वह भी उठी और उसने राष्ट्रीय झण्डा अपने हाथ में ले लिया और भारत माता की जय कहते ही उसे गोली का निशाना बना दिया गया। यह एक असाधारण साहस का उदाहरण है जिस पर कोई भी गर्व कर सकता है चाहे वह भारतीय हो या अभारतीय। हम भारतवासियों के लिये तो यह और भी गौरव की बात है। ऐसी और

भी बहुत सी घटनायें होंगी जिनके संबन्ध में हमें धीरे धीरे पता लगेगा। यह स्वाभाविक है कि इस सभा का और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ सहानुभति प्रकट करेगा जिन्होंने कष्ट झेले हैं और उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करेगा जिन्होंने इस प्रकार अपने को बलिदान कर दिया है।

दूसरी ओर, जो भी समाचार प्राप्त हुए हैं, उन सब से यही प्रकट होता है कि —मैं बहुत संयत भाषा का प्रयोग कर रहा हूं—पुर्तगाली प्राधिकारियों का बरतावा क्रूर तथा असभ्यतापूर्ण था। कहीं भी यह संकेत तक नहीं किया गया है कि इन सत्याग्रहियों के पास कोई शस्त्रादि थे। पुर्तगालियों के विचार से हो सकता है कि यह लोग उनके विरुद्ध कोई अपराध कर रहे हों। ऐसी अवस्था में वे कोई भी कार्यवाही कर सकते थे जिसे कि वे उचित समझते हों क्योंकि सत्याग्रह का तात्पर्य ही जानबूझ कर शान्तिपूर्वक कोई अपराध करना है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि कोई भी सरकार क्यों न हो यदि वह निशस्त्र व्यक्तियों को गोली का निशाना बनाये तो उसका आचरण कहां तक न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इस का महत्व केवल गोआ की इस घटना के लिये ही नहीं है वरन, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है। इस संबंध में तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया है कि इन सत्याग्रहियों के पास कोई अस्त्र थे या वह किसी प्रकार से आक्रमणकारी थे। वास्तव में बहुधा तो यह लोग भूमि पर बैठे थे। कुछ समाचार ऐसे भी आये हैं कि इन पर गोली चलाने वाले पुर्तगाली पुलिस मैन तथा अन्य लोग गोली चलाते समय कुर्सियों पर बैठे थे। मैं इस सभा के सदस्यों या देश के निवासियों से नहीं वरन् देश के बाहर के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत क्रूरतापूर्ण तथा असभ्य है।

जब उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है तो इस प्रकार की घटनायें होती ही रहेंगी, इसलिये इसके संबंध में और अधिक कहना मेरे लिये संभव नहीं है। सरकार की गोआ संबंधी नीति पर अभी जो आलोचनात्मक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था और जिसे आपने अभी-अभी नियम विरुद्ध घोषित किया है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे यह प्रस्ताव तो पसंद नहीं आया है परन्तु मैं यह पसंद करता हूं कि सभा जब चाहे गोआ के विषय पर तथा गोआ संबंधी सरकारी नीति पर वाद-विवाद करे क्योंकि सरकार ने जो नीति अपनाई है उस पर वह पूरी तरह से दृढ़ रहना चाहती है। हमारी मौलिक नीति यही है। इस नीति के परिपालन में हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जाये। गोआ एक छोटा सा राज्य क्षेत्र हो सकता है वरन् इससे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न उठ खड़े होते हैं इसलिये सरकार आशा करती है कि इन मामलों में उसे संसद् का तथा देश का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त होगा।

इसलिये मैं चाहता हूं कि यह अच्छी तरह समझ लिया जाये कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है। और चाहे जो कुछ भी हो या न हो पर इतना अवश्य है कि यह नीति व्यवहारिकता पर आधारित है। सरकार यह नहीं चाहती है कि पुर्तगालियों के किसी कार्य से आवेश में आकर वह ऐसा कार्य कर बैठे जो कि पुर्तगाल की सरकार हम से कराना चाहती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोआ में कल और इसके पहले जो

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ किया गया है उसका अभिप्राय ही यही है कि भारत सरकार को किसी ऐसे काम को करने के लिये उकसाया जाये जिससे गोआ के प्राधिकारियों के कुकृत्यों या अनुचित कार्यों पर परदा पड़ जाये। हम ऐसे उक्सावे में आकर उस नीति को, जिसे हम ठीक समझते हैं त्यागने को तय्यार नहीं हैं ।

परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि गोआ की सीमा पर गोआ के राज्य क्षेत्र में तथा डामन या ड्यू में, जो कुछ हो रहा है, उससे हमारे अंदर गहरी वेदना का होना स्वाभाविक है इसलिये मैं समय-समय पर यह बताता रहूंगा कि हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और वस्तु स्थिति क्या है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कह कर मैं इस सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं कि हमारी संवेदनायें उनके साथ हैं जिन्होंने इस कार्य के लिये अपने जीवन की भेंट चढ़ाई है या जिन्होंने कष्ट झेले हैं। वास्तव में, आवश्यंभावी रूप से, देश की सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिये।

साथ ही साथ हमें इस विषय पर धैर्य-पूर्वक और वस्तुनिष्ठता के साथ उचित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और संसद् और सरकार को चाहिये कि इस संबंध में जो भी काम करे वह सम्मानित रूप से और दृढ़ता के साथ करे और ऐसा न हो कि केवल आवेश में आकर कोई ऐसा काम कर दिया जाये जो संसद् की मर्यादा के अनुकूल न हो।

अध्यक्ष महोदय : हम मारे जाने वालों के निधन पर शोक प्रकट करते हैं और उनके संबंधियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा बलिदान होने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये, तथा उनके संबंधियों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिये दो मिनट के लिये शान्तिपूर्वक खड़ी रहेगी।

इसके पश्चात् सभा दो मिनट तक शान्तिपूर्वक खड़ी रही।

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी मेरे पास एक सुझाव आया है कि ऐसी असाधारण घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा कुछ समय के लिये अपना कार्य स्थगित कर दे। मैं इसके लिये आधे घंटे का समय निश्चित करता हूं। सभा आधे घंटे के लिये अपनी कार्यवाही स्थगित कर सकती है यदि माननीय सदन नेता इससे सहमत हों।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये अब सभा एक बजे फिर समवेत होगी ।

इसके पश्चात् सभा १ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक-सभा एक बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभा स्थगित होने से पूर्व जो मैंने कहा था मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैंने सुभद्रा बाई की, जिसे गोली लगी थी, चर्चा की थी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह जीवित है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है। निःसंदेह वह बुरी तरह घायल हुई है और अस्पताल में है।

पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : श्री जगजीवन राम की ओर से, मैं वायु निगम अधिनियम, की धारा १९५ धारा ३७

की उपधारा (२) के अधीन भारतीय एयरलाईन्स कार्पोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-२४८/५५]**

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम

पुनर्वास **उपमंत्री** (श्री जे० के० भोंसले) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-२४९/५५]**

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचना देनी है कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १९५४ पर जिसे संसद् के दोनों सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था, राष्ट्रपति ने १० अगस्त, १९५५ को अपनी अनुमति दे दी है।

समवाय विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सी० डी० देशमुख द्वारा ९ अगस्त, १९५५ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार जारी रखेगी।

श्री सी० आर० चौधरी आज अनुपस्थित हैं। श्री बंसल को बुलाने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें यहां उपस्थित रहना होगा अन्यथा अन्य वाद-विवादों के अवसर पर उनको अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या यह निश्चित विधि है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि वाद-विवाद का स्तर ऊंचा हो। हम में से प्रत्येक ७ १।२ लाख जनता का प्रतिनिधि है—५०० में से ५० व्यक्ति भी यहां नहीं रह जाते हैं। माननीय सदस्यों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये। माननीय सदस्य बार-बार मंत्रियों की अनुपस्थिति की शिकायत करते रहते हैं किन्तु उन्हें स्वयं भी तो उसी प्रकार अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, कम से कम हमें मध्यान्ह भोजन में बाहर जाने की अनुमति दी जाये ताकि हमें थकावट महसूस न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मध्यान्ह भोजन के समय मैं गणपूर्ति पर ज़ोर नहीं दूंगा। इसे कहने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी): इस विधेयक पर कुछ कहने से पूर्व मैं एक संशयात्मक स्थिति में पड़ गया हूं—मैं इस कारण से भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने संयुक्त समिति में भी काम किया है और मैं उस समिति के प्रत्येक निर्णय का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का अध्ययन मैंने इसके आरंभ से ही किया है इसलिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वह विचारपूर्वक कहूंगा क्योंकि मैंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है।

विधेयक के मुख्य पहलुओं के बारे में चर्चा करने से पूर्व, मैं श्री अशोक मेहता की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मतदान अधिकारों के सम्बन्ध में कहा था। जैसा कि सब जानते है प्रवर समिति ने निर्णय किया है कि केवल दो प्रकार के अंशधारण किये जा सकेंगे।

[श्री बंसल]

श्री अशोक मेहता ने जर्मनी का एक उदाहरण देकर यह सुझाव दिया था कि सरकार को ऐसी शक्ति होनी चाहिये कि वह अनुपातिक मतदान अधिकार वाले कतिपय अंश जारी कर सके। मैं इसका अनुमोदन करता हूँ, किन्तु एक सुझाव देना चाहता हूँ कि समता मूल्य न रखने वाले अंशों के लिये भी कोई उपबन्ध अवश्य होना चाहिये। कोहेन समिति तथा श्री मौन्टेगु एल० जेड० से भी इन अंशों के महत्व पर चर्चा की गई थी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर अवश्य ध्यान दें। इसमें कोई सिद्धान्त का मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

इसके बाद, श्री अशोक मेहता ने सामाजिक लेखा तैयार करने के सम्बन्ध में कहा है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को बढ़ावा दिया जाये ताकि जनता गैर-सरकारी उपक्रम की स्थिति को आसानी से समझ ले। यह सुझाव तो बड़ा अच्छा है किन्तु इंगलैण्ड जैसे देश में यह तरीका सफल नहीं हुआ है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अभी ऐसी विकसित नहीं हुई है कि यहां भी यह प्रणाली लागू की जाये।

किन्तु माननीय वित्त मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम सरकारी उपक्रमों के लेखे इस प्रकार बनाये जायें जिनसे कि सामाजिक लाभों तथा हानियों का स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाये।

इसके बाद श्री अशोक मेहता न निजी उपक्रम की लागत का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत के अतिरिक्त यह उद्योग समाज पर अन्य बहुत से बोझ डालते हैं और इस सम्बन्ध में प्रोफैसर कैम्पस की एक पुस्तक का उन्होंने उल्लेख किया। मेरी प्रार्थना यह है कि जब कारखाने लगेंगे तो धुंआ भी हवा में जायेगा और गंदा पानी भी उनमें बाहर निकलेगा हमें यह देखना अवश्य चाहिये कि इन बातों को कम से कम कर दिया जाये। यह बोझ केवल कारखानों से ही नहीं पड़ता है—सड़क पर चलने से भी सड़क खराब होती है और किसी मात्रा तक यह भी सामाजिक हानि ही है। इसके अतिरिक्त प्रोफैसर कैम्पस के मुकाबले में, मैं प्रौफसर वौन मिसेस तथा जौहन ज्यूकेस का उलेल्ख कर सकता हूँ जिन्होंने बताया है कि कई प्रकार के अन्य बोझ एकतंत्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं में होते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये श्री अशोक मेहता ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आलोचना करते करते समस्त गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहा था। किन्तु हम इस समय एक सीमित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, इस देश में ६० प्रतिशत गैर-सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता रहा है। हम इस बात पर चर्चा कर रहें हैं कि उस प्रणाली ने देश में किस प्रकार-से कार्य किया है।

बहुत से वक्ताओं ने १९३६ के संशोधक विधेयक से अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय मित्र श्री शाह ने भी संयुक्त स्कंध समवायों के पंजीयक के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बात स्वीकार कर ली गई है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली द्वारा कई खराबियां उत्पन्न हुई हैं। इसी कारण से यह विधेयक यहां लाया गया है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : कुछ खराबियां नहीं, बल्कि बहुत अधिक खराबियां।

श्री बंसल : जी हां, इसीलिये तो समवाय विधि समिति नियक्त की गई थी।

उस समिति में प्रबन्ध अभिकर्ताओं, कर्मचारियों तथा अंशधारियों के प्रतिनिधि थे—उस समिति ने समस्त साक्ष्य को सुनकर विचार पूर्वक अपना प्रतिवेदन दिया जो हमारे सामने है। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि इस प्रणाली में सभी प्रकार के दोष रहे हैं किन्तु फिर भी यही प्रणाली गैर-सरकारी संसाधन को काम में ला सकती है समिति ने कहा है कि उस की सिफारिशें भारतीय समवाय वधेयक के उपबन्धों के कड़ा किये जाने के लिये हैं। व्यापारिक वर्ग को भी चाहिये कि वह भविष्य में इस कार्य के लिये योग्य व्यक्ति उपलब्ध करें।

श्री खंडूभाई देसाई भी उस समिति के सदस्य थे और एक दो को छोड़कर किसी ने भी निमिति टिप्पणि नहीं लिखी थी। यह विधेयक भी उस समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समिति के समक्ष विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से व्यक्तियों ने साक्ष्य दिया और किसी ने भी यह नहीं कहा कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उत्साहन कर दिया जाय।

श्री मात्तन (तिरूवल्ला) : आपत्ति प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की खराबियों पर की गई थी न कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली पर।

श्री बंसल : मैं भी ठीक यही कह रहा हूं। इसी प्रयोजन के लिये यह विधेयक यहां पर रखा गया है। इससे पूर्व योजना आयोग तथा राजकोषीय आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त न किया जाय किन्तु इसमें संशोधन किया जाय। मैं भी इसी बात को जतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रणाली में संशोधन किया जाय और इसकी खराबियां दूर की जायें।

इससे पूर्व कि मैं ब्यौरे में जाऊं मैं राजकोषीय आयोग के प्रतिवेदन से एक बात बताना चाहता हूँ। उस प्रतिवेदन में लिखा है कि लोगों की यह शिकायतें कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में खराबियां हैं कोई आधाररहित शिकायत नहीं है—सरकार सुधार करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसी प्रकार से योजना आयोग ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है अब जो यह विधेयक प्रवर समिति के परीक्षण के पश्चात् यहां हमारे सामने हैं, उसके द्वारा भी यही प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रवन्ध अभिकरण प्रणाली के समस्त दोष ठीक ढंग से हटा दिया जायेंगे। श्री मोरारका ने कल यह बता दिया है कि इस विधेयक द्वारा किस प्रकार विभिन्न खराबियों को दूर किया जायेगा। ६४९ खण्डों के इस विधेयक में कम से कम १३९ खण्ड तो दंड सम्बन्धी हैं।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): इंग्लिश विधि में इसी प्रकार के कितने ही दंड सम्बन्धी खंड है।

श्री बंसल : इतना होने पर भी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं।

सरकार को यह अधिकार देने के अतिरिक्त कि १९६० के बाद वह यह धोषणा कर सकती है कि अमुक अमुक उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली रखने की आवश्यकता नहीं है, यह अधिकार भी दिया गया है कि जब किसी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति का प्रश्न उठे तो वह निर्णय कर सके कि अमुक व्यक्ति को उस समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ता रखा जाये अथवा नहीं। इसके बाद दाययोग्य समस्त प्रबन्ध अभिकरण

[श्री बंसल]

शून्य होंगे। पहले यह तरीका चलता था किन्तु अब नहीं चलेगा। इसके बाद यह भी प्रस्थापना है कि १५ अगस्त, १९६० के बाद कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ता दस समवायों से अधिक समवायों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त न किया जाये। श्री त्रिपाठी ने कहा कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का समर्थन अब नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब देश को समाज, वादी ढांचे में ढालना है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सब बातों पर संयुक्त समिति ने भली भांति विचार किया है और मेरे विचार में इतने सारे प्रतिबन्ध लग जाने पर यह प्रणाली समाजवादी ढंग के विरुद्ध नहीं रहती है।

इस सबसे अतिरिक्त ९५ खण्ड इस विधेयक में ऐसे हैं जिनके द्वारा भारत सरकार को कुछ न कुछ करने का अधिकार दिया जा रहा है। मुझे भय केवल इसी बात का है कि संभवतः सरकार इतनी सारी शक्तियों का प्रयोग न कर सके तथा उद्योग तथा प्रबन्ध अभिकरण उसी कुशलता से कार्य न कर सकें। मैं समझता हूँ कि सरकार इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार से करेगी कि जिससे समस्त देश को लाभ होगा। यद्यपि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की कड़ी आलोचना की जा रही है किन्तु गत तीन या चार वर्षों का इसका कार्य सराहनीय रहा है। १९४८ में सामान्य औद्योगिक उत्पादन का देशनांक ९७ था और १९४८ में यह १०८ था तथा इस वर्ष का देशनांक १६६ है। आखिर को कल्याण तथा समृद्धि का अर्थ ही क्या है? उसका स्पष्ट अर्थ यही है कि देश में कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो। आप चाहे इसे नापसंद ही क्यों न करें किन्तु औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि का श्रेय कुछ मात्रा तक प्रबन्धकों को भी मिलना चाहिये।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस प्रणाली में खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाये—इसीलिये संयुक्त समिति ने इस काम को किया है और इसे पर्याप्त मात्रा तक सफलता मिली है।

श्री अशोक मेहता ने यह बात भी कही थी कि विदेशों में प्रबन्धक १.५ से २ प्रतिशत तक मुआवजा लेते हैं किन्तु इस देश में १३।१४ प्रतिशत मुआवजा लिया जाता है। श्री मेहता ने यह जानकारी उस साक्ष्य से ली है जो कि संयुक्त समिति के सामने अंशधारियों ने प्रस्तुत किया था। उस समय श्री मोरारका ने एक साक्षी से कहा था कि अमेरिकन टुबैको कम्पनी में प्रधान तथा उपप्रधान को समस्त लाभ का १० प्रतिशत दिया जाता है जो कि ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष होता है। अंशधारियों के प्रतिनिधि श्री पारिख ने इस बात को स्वीकार किया था। मेरा अपना भी यही विचार है कि १.५ तथा २ प्रतिशत मुआवजा लेकर किसी समवाय का प्रबन्ध नहीं चलाया जा सकता है।

इसके बाद श्री अशोक मेहता ने कहा था कि १३ प्रतिशत से आप मुआवज़ा कम करके १० प्रतिशत कर रहे हैं—इसलिये आप कोई विशेष कमी इसमें भी नहीं कर रहे हैं।

यदि प्रबन्ध अभिकरण अधिक मुआवजा लेते रहे हैं तो यह गलत बात है और उनके कम मुआवज़ा लेने की बात भी ग़लत है। श्री अशोक मेहता जैसे व्यक्ति को उस प्रतिवेदन में से पूरा पूरा उल्लेख करना चाहिये था क्योंकि उसी

कण्डिका में यह भी लिखा है कि औसत मुआवजा १३ प्रतिशत है। किन्तु विधि औसत पर आधारित नहीं है। दंडविधि औसत व्यक्ति को दृष्टि में रखकर नहीं बनाई जाती है। वह तो अपराधियों के लिये बनाई जाती है। इसलिये यह सब उपबन्ध उन लोगों के लिये रखा गया है जो अधिक कमीशन लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कार्यवाही ठीक है, क्योंकि जो लोग ३० या ४० प्रतिशत कमीशन लेते रहे हैं। वे अब उतना नहीं ले सकेंगे। वे अब १० प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते हैं।

इसके बाद मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने निदेशक बोर्ड पर कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न की ओर भी निर्देश किया था। उन्होंने योजना-आयोग द्वारा परिचालित एक पत्र का उल्लेख किया है। वैसे तो ऐसे पत्रों का इस सभा में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये, तो भी उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि निदेशक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायें। परन्तु उस परिचालित पत्र में स्पष्टतया लिखा है कि श्रमिक संघों की आज इतनी बुरी स्थिति है कि वे कोई भी कार्य प्रेम और सहयोग से नहीं कर सकते हैं। वे तो पारस्परिक झगड़ों में ही लिप्त हैं। अतः मैं श्री अशोक मेहता से यह पूछना चाहता हूँ कि आज जबकि श्रमिक संघों की ऐसी बुरी व्यवस्था है, वे निदेशक बोर्डों में अपने प्रतिनिधियों को कैसे भेज सकते हैं हमें कार्य समितियों का गहन अनुभव है। उस परिचालित पत्र में भी लिखा हुआ है ऐसी समितियां कभी सफल सिद्ध नहीं हुई हैं। श्रमिक-संघों में कभी भी प्रेम और सहयोग नहीं रहा है और इसी कारण कार्य समितियां सदा असफल रही हैं। इसीलिये यह परिचालित पत्र भी निदेशक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का समर्थन नहीं करता है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह ज्ञापन भी, जिसका श्री अशोक मेहता ने उल्लेख किया है बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का समर्थन नहीं करता है।

यदि हम श्री अशोक मेहता के इस सुझाव को मान लेते हैं कि संचालक बोर्ड में श्रमिकों के दो प्रतिनिधि होने चाहियें, तब हमें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जैसा कि मेरे मित्र श्री सी० सी० शाह ने कहा है कि अब प्रबन्ध अभिकर्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि धन का प्रबन्ध करना उनका अब कार्य नहीं है। निजी उद्योगों को अब औद्योगिक वित्त निगम विना व्याज के ही ऋण दिया करेगा, और इस प्रणाली के चालू हो जाने पर औद्योगिक वित्त निगम भी संचालक बोर्ड में अपने एक या दो प्रतिनिधि रखने पर आग्रह करेगा। ऐसी घटनायें हो चुकी हैं और निगम ने कई मामलों में ऐसा आग्रह किया है।

इस प्रकार से तो एक बड़ी ही विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। श्री अशोक मेहता के अनुसार निदेशक बोर्ड में श्रमिकों के दो प्रतिनिधि हों, वित्त निगम के अनुसार बोर्ड में उसके दो प्रतिनिधि हों, श्री मूरारका के अनुसार बोर्ड में अल्पसंख्यकों के दो प्रतिनिधि हों और कुछ एक अंशधारियों का यह कहना है कि बोर्ड में दो सरकारी प्रतिनिधि होने चाहियें तो इस प्रकार से जब बोर्ड में आठ प्रतिनिधि तो ऐसे ही हो गये तो वह समवाय अपना कार्य किस प्रकार से चलायेगा

वैसे तो, कुछ एक समवाय ऐसे हैं जिनके निदेशक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं। यहाँ दिल्ली में ही एक

[श्री बंसल]

बहुत बड़ी मिल है जिसके बोर्ड निदेशक बोर्ड में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि है।

मैं वास्तव में कहना यह चाहता हूँ कि यदि श्री अशोक मेहता, श्री मूरारका, श्री सी० सी० शाह और श्री एम० सी० शाह की बात मान कर निदेशक बोर्ड में आठ प्रतिनिधि बाहिर के ही हों तो उस समवाय का कार्य कैसे चल सकेगा।

मैं, अब, अनुपाती प्रतिनिधित्व के प्रश्न को लेता हूँ। श्री मूरारका ने अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए यह कहा है कि इतने प्रतिबन्ध लगाने पर बिना इस अनुपाती प्रतिनिधित्व के काम नहीं चल सकेगा। श्री मुरारका से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह क्या सुझाव अंशधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया था ? निदेशक बोर्ड में अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का सुझाव वास्तव में बहुत ही विचित्र और भयानक है।

मैं आपको देश के ऐसे अनेकों समवायों के उदाहरण दे सकता हूं जिनकी अव्यवस्था और निन्दा का वास्तविक कारण ही यही है कि उनके निदेशक बोर्डों में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। अतः मैं समवायों के कार्य-करण के अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करे और बोर्डों में भिन्न भिन्न वृतियों के व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न न करे। परन्तु बोर्ड पर विरोधी मनोवृत्ति रखने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों को लाद देने के परिणाम भयंकर निकलेंगे अतः मेरी प्रार्थना है कि सभा इस प्रश्न पर दलबन्दी की भावना से रहित होकर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प संख्या बहु संख्या पर अधिकार जमा लेगी।

श्री बंसल : अल्प संख्या अन्य व्यक्तियों पर अधिकार तो नहीं जमा लेगी, परन्तु वह समवाय के कार्य करण में रोड़ा अटकाने का प्रयत्न करेगी मैं अपने मत को किसी पर लादना नहीं चाहता, परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस सुझावको कार्य रूप में परिणित करने से पूर्व इस पर अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : यदि बोर्ड में केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति हुए तो क्या इससे भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का भय नहीं होगा।

श्री बंसल : संशोधित विधेयक के अनुसार बोर्ड की ऐसी स्थिति नहीं होगी। विधेयक के उपबन्ध भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकने में सहायता करेंगे। अंशधारियों को उनकी जांच करने का अधिकार होगा। वह सरकार से दो संचालक नाम निर्देशित करा सकते हैं। इस प्रकार से अंशधारियों को, जो कि अल्प संख्या में हैं, समवाय के मामलों में अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे :

अब मैं विधेयक के एक अन्य उपबन्ध को लेता हूं और वह यह है कि जो व्यक्ति अंशधारी नहीं हैं, वह भी अंशधारियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस उपबन्ध से तो एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी, और वह यह है कि इससे ऐसे व्यक्तियों का एक और वर्ग बन जायेगा जो अंशधारी न होने पर भी अंशधारियों की बैठकों में उपस्थित हुआ करेंगे। और उनका प्रतिनिधित्व किया करेंगे इसके सम्बन्ध में मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक समवायों में

इस प्रकार प्रतिनिधित्व करने की अनुमति न दी जाये। अन्यथा समाज में एक परोपजीवी वर्ग बन जायगा।

श्री अशोक मेहता का कहना है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली अब धन विनियोजक के रूप में काम नहीं कर रही है और यह बीते दिनों की बात हो गई है परन्तु यह बात गलत है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली आज भी समवायों के लिये धन-विनियोजकों के रूप में काम कर रही है और साधारण परिस्थिति में तथा कठिनाई के समय पर समवायों की सहायता करती है।

अन्त में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि संयुक्त समिति द्वारा बड़े ध्यान पूर्वक सोच विचार कर बनाये गये इस विधेयक को संशोधित रूप में, अपनाया जाना चाहिये और देश पर लागू करके इसका परीक्षण करना चाहिये।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): हमारे देश में एक औद्योगिक क्रांति होने वाली है। हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में महान औद्योगिक विकास की कल्पना की गयी है। जहाँ तक निजी उद्योगों का सम्बन्ध है, इस पर इस समवाय विधेयक का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि समावय विधान का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह सारे देश में संयुक्त पूंजी उपक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहायता करे। अतः हमें देखना यह है कि क्या यह समवाय विधेयक देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करेगा अथवा अवनत। इस दृष्टि से तो यह विधेयक अत्यधिक प्रतिबन्धक, उलझन पूर्ण और कठोर है।

यदि हम इस विधेयक की तुलना ब्रिटिश विधान से करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि यह विधेयक कितना उलझन पूर्ण है। ब्रिटिश विधान में केवल ४६२ खण्ड हैं, परन्तु इस विधेयक में ६५२ खण्ड और अनेकों उपखण्ड, अनुबंध और परिशिष्ट हैं। ब्रिटिश जनता तो साक्षर है परन्तु भारतीय जनता निरक्षर है। तो आप स्वयं ही विचार करें कि यह विधेयक यहाँ की जनता का अनुकूल कैसे हो सकता है।

हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमारी राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत बढ़ जाय, १२० लाख व्यक्तियों के लिये नयी नौकरियाँ बनाई जायें, और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करा सकेगा? हमें इसी दृष्टिकोण से इस विधेयक की जांच करनी है।

जहाँ तक बड़े-बड़े समवायों का सम्बन्ध है, उनका काम तो ठीक प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें महान निपुण विधि वेत्ताओं की सहायता प्राप्त हो सकेगी, परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अपना अधिक समय इसी बात का ध्यान रखने में लगाना पड़ेगा कि कहीं उनसे ऐसा कोई कार्य न हो जाय जिससे कि उन्हें दण्ड भुगतना पड़े। और विधेयक में १४९ दंड सम्बन्धी खंड है।

जहाँ तक छोटे-छोटे समवायों का सम्बन्ध है, मुझे भय है कि वे व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर सकेंगे। प्रस्तुत विधयक अत्यधिक उलझन पूर्ण और कठोर है और बिना किसी निपुण विधि वक्ता की सहायता के छोटे उद्योगों को काम चलाना अत्यन्त कठिन होगा। इसी लिये तो मेरा निवेदन यह है कि हम विधान को बनाते

[श्री जी० डी० सोमानी]

समय हमारा प्रमुख ध्यय यह होना चाहिए कि संयुक्त पूंजी उपक्रम की रचना में सहायता मिल सके और देश के उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकें परन्तु इस विधेयक का ध्यय तो केवल निजी उद्योगों में विधि व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित है। यह विधेयक देश की आर्थिक उन्नति करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है और न ही छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। मैं अपने माननीय मित्रों से कहूंगा कि वह यह बतायें कि यह विधेयक विकेन्द्रीकृत अर्थ व्यवस्था को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि विधेयक में रखे गये मूलभूत सिद्धान्तों को बिल्कुल नहीं बदला गया है, परन्तु वास्तव में इसमें कई महान परिवर्तन किये गये हैं। अतः मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर गत २५ वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। इसके सम्बन्ध में मैं यही चाहूंगा कि इसमें ऐसे उपबंध रखे जायें जो कि वर्तमान अधिनियम की सभी त्रुटियों और कमियों को दूर कर सकें और समवायों की व्यवस्थित रूप में चलने में सहायता कर सकें।

श्री बंसल ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की त्रुटियों और बुराइयों की आलोचना करने तथा देश के आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता बताने वाले आयोगों एवं समितियों का उल्लेख किया है। मैं उनका उल्लेख न करते हुए, केवल इतना ही कहूंगा कि राजकोषीय आयोग या योजना आयोग अथवा भाभा समिति ने जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे, तब प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में अत्यधिक बुराइयां थीं। युद्ध काल में और युद्ध के पश्चात् के समयमें इन अभिकरणों ने घृणित समाज विरोधी कृत्य किये, परन्तु इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् उच्च शक्ति सम्पन्न एवं निष्पक्ष आयोगों ने एकमत से सिफारिश की है कि इस प्रणाली को समाप्त न करके इसमें सुधार किया जाना चाहिये क्योंकि समवायों को शिल्पिक, वित्तीय तथा प्रबंध संबंधी परामर्श देकर इस प्रणाली ने देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध किया है। अब पहले की अपेक्षा प्रबंध अभिकरण प्रणाली में बुराइयां कुप्रबंध और बेईमानी कम हो गई है। अब विक्रेताओं के बाजार बन्द हो गये हैं और क्रेताओं के बाजार खुल गये हैं, और खूब प्रतियोगिता होती है। सरकार द्वारा अपने हाथ में शक्ति लेने के फलस्वरूप अथवा युद्ध समय की परिस्थितियां न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से भी, अब बेइमानी, कुप्रबंध और बुराइंया बहुत कम हो गई हैं।

स्वर्गीय श्री जे० जे० कपाडिया ने भी जो समवाय विधि जांच समिति के भी सदस्य थे, इस प्रणाली को समाप्त न करके इसमें सुधार करने का सुझाव दिया है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली उपयोगिता पर भी हमें ध्यान देना चाहिय, आज भारत को प्रमुख औद्योगिक देश बनाने में, पटसन, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, इस्पात आदि उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और अत्यावश्यक वस्तुओं के संबंध में देश को स्वावलंबी बनाने तथा निर्यात व्यापार बढ़ाने में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का बड़ा हाथ रहा है। इस प्रणाली की सब बुराइयों को एक ओर रखने और

दूसरी ओर इसके लाभों को रखने से प्रतीत होगा कि इसके हुए लाभ बहुत अधिक हैं।

कदाचारों के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि किसी संगठन में कुछ लोग भ्रष्टाचारी हो जायें तो क्या समस्त संगठन को ही नष्ट कर देना चाहिये? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कांग्रेस के उच्च आदर्शों से कुछ लोग गिर गये हैं, परन्तु फिर भी समची कांग्रेस को कदापि बदनाम नहीं किया जा सकता। मेरा अभिप्राय यह है कि न केवल व्यापारी समुदाय में ही कदाचार फैला हुआ है अपितु समस्त समुदायों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब किसी को अवसर मिलता है तो वह उसका आश्रय ले लेता है। निश्चय ही इस बात की आवश्यकता है कि समस्त देश के सब समुदायों का नैतिक आदर्श ऊंचा उठाया जाये ताकि लोग अच्छे ढंग से व्यवसाय चलायें और अपना जीवन यापन करें।

जो लोग प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के समाप्त करने की बात कहते हैं, वे वह भूल जाते हैं कि अब बहुत अधिक परिवर्तनों और प्रतिबन्धों का उपबंध विचाराधीन विधेयक में कर दिया गया है। पहले प्रबन्ध अभिकर्ता अनेक प्रकार का परिश्रमिक, लाभ, कमीशन आदि लेते थे, किन्तु अब वे इच्छित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन उपबंधों क अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं को समवाय चलाने के ५–१० वर्ष तक कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को बड़े बड़े बंधनों और सख्त विनियमों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है और हो सकता है कि भविष्य में नवीन समवायों के लिये कोई प्रबन्ध अभिकरण ही न रहे। इस प्रकार धीरे-धीरे यह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी। इसलिये माननीय सदस्यों को इसको समाप्त करने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

बुराइयों और कदाचारों के लिये केवल प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु विधि में जो कुछ त्रुटियां हैं उनके कारण भी बुराइयां और दुष्टाचार होते हैं। बैंकों और अन्य समवायों में भी जिनमें यह प्रणाली नहीं है बुराइयां और कदाचार होते रहते हैं। यह इस प्रणाली का दोष नहीं है, बल्कि लोगों का दोष है। हमें नवीन परिवर्तित व्यवस्था के अन्दर इस प्रणाली का कार्यकरण देखना चाहिय। हमें प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिये और इस नवीन विधेयक के अन्तर्गत काम करने वाले प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बलिदान और सेवा की सराहना करनी चाहिये।

हमारे देश के व्यापारी ईमानदारी, और योग्यता तथा अनुभव की दृष्टि से संसार के किसी देश से पीछे नहीं हैं, और उनकी देश भक्ति की भावना पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिये हमें देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिससे कि व्यापारी लोग देश के संसाधनों को विकसित करने में पूरा हाथ बटाएं और हम अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें आज देश के सभी लोग देश का विकास करने में सहायता देने को पूर्ण उद्यत हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपनी आलोचना पर संयम रखें ताकि उपक्रमी व्यापारियों की भावनाओं और ईमानदारी को ठेस न लगे।

किसी उद्योग विशेष में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की समाप्ति की अधिसूचना करने की शक्ति लेने के बारे

[श्री जी० डी० सोमानी]

में मैं कहना चाहता हूं कि व्यापार और परिस्थितियों में परिवर्तन होने की दशा में विधि में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में समय समय पर परिवर्तन करना अवश्यम्भावी होता है और तदनुसार विधि में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । जब परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, तो हम समवाय विधि में उपयुक्त संशोधन कर सकेंगे, जिस प्रकार हमने संविधान में आवश्यकतानुसार चार बार संशोधन किये हैं परन्तु इस समवाय विधेयक में ऐसी शक्तियों का उपबंध करने से उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में बड़ी अस्थिरता और आपकी भावना बनी रहेगी, जिसका परिणाम उद्योगों के विकास पर बहुत बुरा पड़ेगा। इसलिय हमें इस समय ऐसी शक्तियों का उपबन्ध नहीं करना चाहिये । यदि ऐसा करना अत्यन्त अनिवार्य समझा जाता है तो कम से कम माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले नियमपूर्वक व्यापक जांच की जाएगी और संबद्ध उद्योग को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा, और तभी यदि अत्यन्त आवश्यक होगा तो, उस उद्योग को अधिसूचित किया जायेगा।

अब मैं श्री सी० सी० शाह के उस वक्तव्य को लूंगा जो उन्होंने प्रबन्ध अभिकरण को इस समवायों तक सीमित करके आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के बारे में दिया था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हाल ही वक्तव्यों से प्रभावित होकर उद्योगपति और व्यापारी लोग नई नई कम्पनियां खोलने और वर्तमान कम्पनियों का विस्तार करने की योजनाएं बनाते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की नीति और उद्देश्य क्या है। क्या उद्योगपति अपने उद्योगों का विकास करें या उनको ठप कर दें। यदि सरकार का विचार यह है कि यह बड़े उद्योगपति उद्योगों को विकसित करके राज्य के मूल उद्देश्य के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो सरकार के पास पर्याप्त शक्ति है। आजकल अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई नया समवाय नहीं खोला जा सकता है और न ही किसी वर्तमान समवाय का विस्तार किया जा सकता है। फिर श्री सी० सी० शाह का यह कहना कि व्यापारी लोग नये समवाय खोलने और वर्तमान समवायों का विस्तार करने की योजना बनाने में अधिनियम की भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कहां तक ठीक है ? इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये यदि सरकार चाहती है कि नये उद्योग न खोले जायें और वर्तमान उद्योगों का विस्तार न किया जाये तो ये बड़े व्यापार ग्रह नवीन उद्योग खोलने और वर्तमान उद्योगों का विकास करने में समय धन और शक्ति का क्यों अपव्यय करें। अभी तक तो वे सब संसाधनों का उपयोग करके देश के उद्योगों को बढ़ाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में बड़ी भ्रान्ति फैली हुई है। पूंजी केन्द्रीकरण को रोकने के लिये सरकार की करारोपण नीति को स्वीकार किया जा सकता है, जिसके अनुसार ऊंची व्यक्तिगत आय पर ८७$^{१}/_{२}$ प्रतिशत तक कर लगाया गया है। इस प्रकार पूंजी केन्द्रीकरण को रोका जा सकता है। किन्तु यदि इस नीति को इस सीमा तक बढ़ाया गया जो वर्तमान व्यापार गृहों को नये उद्योग खोलने और वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने से रोके, तो यह एक नई नीति होगी। मेरा निवेदन यह है कि प्रबन्ध अभिकरणों के लिये समवायों की

संख्या को सीमित करना सरकार की वर्तमान नीति के अनुकूल नहीं है ।

प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि विकेन्द्रीकरण का अर्थ है निर्धनता का वितरण । अतः हमें उन लोगों को, जो अपनी योग्यता, अनुभव और धन द्वारा देश के संसाधनों का विकास करने को अग्रसर होते हैं, रोकना नहीं चाहिए ।

सैक्रेट्रियों और कोषाध्यक्षों को वित्त मंत्री ने दंत विहीन प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली बताया है । यदि इन सैक्रेट्रियों और कोषाध्यक्षों को क्रय और विक्रय के काम से रोका गया तो मैं समझता हूं कि बहुत से समवायों में बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी । इसे शिल्पिक, प्रबन्धक और प्रशासी व्यक्तियों का केन्द्रीयकरण भले ही कहा जा सकता है, किन्तु इसे आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण कदापि नहीं कहा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान एसोसियेटेड चम्बर्स ऑफ कामर्स, कलकत्ता द्वारा प्रेषित प्रतिनिधान की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके कथनानुसार कहीं-कहीं तो २५ चाय बागान एक ही सार्थ के प्रबन्धाधीन हैं । एक ही प्रबन्धक इन सभी की देखरेख करता है । छोटे बागानों के लिए उच्चकोटि के प्रविधिविज्ञ नियुक्त करना सम्भव नहीं है इसलिए सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों को रखने का विचार रचनात्मक सुझाव है और इस से प्रविधिक कर्मचारियों तथा प्रशासनिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का अभाव नहीं रहेगा । प्रत्येक समवाय तो उच्चकोटि के प्रविधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर नहीं सकता है, क्योंकि वह उनका वेतन नहीं दे सकते हैं, इसलिए यदि कई समवाय एक प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन रहें तो उच्चकोटि के कर्मचारियों को नियुक्त करना सम्भव हो सकेगा । इस से किसी सैक्रेटरी या कोषाध्यक्ष के हाथों में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रित हो जाने की सम्भावना नहीं है । अतः मेरे विचार से यह उपबन्ध बहुत ठीक है और इनको रखा जाना चाहिए, नहीं तो कई समवायों में बहुत अधिक अव्यवस्था तथा गड़बड़ी फैल जायेगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने खंड १९७ के सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया है कि यदि इस खंड के रहने से कोई वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न होने पर वह इस खंड में संशोधन करने को तैयार रहेंगे मेरे विचार से केवल विशेष मामलों में विमुक्ति देने के अधिकार ले लेना ही सरकार के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु क्योंकि इस में शब्द 'प्रबन्धक' को भी सम्मिलित किया गया है इसलिए बड़ी से बड़ी फैक्टरी के प्रबन्धक भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । उनको यह निश्चित आश्वासन देना चाहिए कि इसका आशय प्रविधिक कर्मचारियों की प्रबन्धकों के रूप में नियुक्ति से नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस खण्ड को इस प्रकार लिखा जावे जिससे कि यह समवायों द्वारा उच्चकोटि के अर्ह प्रविधिविज्ञों को नियुक्त करने में कोई कठिनाई न हो । जहां तक ५०,००० रुपये की सीमा का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि किसी नये समवाय को पहले पांच या सात वर्ष तक कोई लाभ अर्जित करना संभव नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार द्वारा की गई एक रूसी विशेषज्ञ की नियुक्ति का उल्लेख करूंगा । उसे कर मुक्त ४,००० रुपये प्रति मास पर नियुक्त किया गया है । यह एक उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किये जाने की स्थिति में उनको इतना देना ही पड़ेगा ।

[श्री जी० डी० सोमानी]

इसलिए ५०,००० रुपये प्रति वर्ष की सीमा रखी जाने से अनावश्यक कठिनाईयों का सामना समवायों को करना पड़ेगा। अतः देश के औद्योगिक विकास के हित में यह आवश्यक है कि इस खंड में संशोधन किया जाये।

अब मैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विवादास्पद प्रश्न को लेता हूं। मेरे मित्र श्री बंसल ने इस प्रणाली की उपलक्षणाओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। श्री मुरारका ने भी इस का उल्लेख किया है। यदि किसी समवाय के निदेशक बोर्ड में निरन्तर लड़ाई झगड़े होते रहें तो समवाय का कार्य किस प्रकार से चल सकता है?

जब तक मतभेद न हो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और जब तक निदेशक समवाय के हित के अनुकूल कार्य करते रहे तब तक इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रणाली से कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु जब मतभेद हो जाते हैं और जब समवाय पर ऐसे निदेशक थोप दिये जायें जो समवाय के दिन प्रति दिन के कार्यकरण में रोड़े अटकायें तो इसके समवाय के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बोर्ड को कार्य करना कठिन हो जायगा।

श्री नथवानी को स्वयं भी एक मिश्रित सरकार का उदाहरण दिया है। हम जानते हैं कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की सांझी अथवा मिश्रित सरकार किस प्रकार से चली थी। अल्पसंख्यक निदेशक भी यह कहेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया है, वह देश के हित में किया है। कोई व्यवसाय सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि प्रबन्ध अभिकरण के व्यक्ति परस्पर एक साथ होकर नहीं चलते हैं। अतएव मेरा सादर निवेदन है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व समवायों के सुगमता से चलने के लिए हानिकारक है तथा इस प्रस्ताव को छोड़ देना चाहिये।

मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि सरकार किसी समवाय पर दो निदेशक जबरदस्ती ठोंस दे। यह एक खतरनाक खण्ड है। हो सकता है कि वे दो निदेशक बहुसंख्या से झगड़ते रहें तथा समवाय का कार्य बिल्कुल न चल सके।

अब मैं सरकार की दी गई व्यापक शक्तियों के प्रश्न को लेता हूं। समवायों को अब बहुत से मामलों में सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। स्वयं नये प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए भी सरकार को अनुमति की आवश्यकता होगी। परिणाम यह होगा कि सरकारी अधिकारी किसी भी नए अभ्यार्थी को अनुभवी न होने का प्रमाण पत्र देकर उसे प्रबन्ध-अभिकर्ता के पद के लिए अयोग्य कह सकता है। इससे निश्चय ही अनावश्यक पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी। समवाय को निदेशक संख्या को बढ़ाने तक के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है मेरा निवेदन है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होता। नए प्रस्तावित खण्डों के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशकों का पारिश्रमिक भी निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी सरकार की अनुमति का लेना आवश्यक है। कुछ भी हो, अंशधारियों को ही समवाय का मालिक समझा जाना चाहिये। सरकार को हस्तक्षेप केवल उस समय करना चाहिये जब अंशधारी अपने हितों की देख-भाल करने में असमर्थ हो। आज के अंशधारी लोग वैसे नहीं हैं जो दस वर्ष पहले होते थे। अब वे कम्पनी की बैठकों में आकर भाग लेते हैं तथा प्रबन्ध अभिकर्ता अब अपनी मन-मानी से नहीं चल सकते।

मैं मानता हूं कि समवाय के कार्य तथा लेखाओं का अधिकतम प्रचार किया जाना चाहिये। परन्तु हमारी अधिकतम सीमा यही होनी चाहिये। छोटी-छोटी सी बातों में अंशधारियों के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप का प्रस्ताव एक व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों में तो ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझा जा सकता है, परन्तु छोटी-छोटी बातों पर हस्तक्षेप से पेचीदगियां ही पैदा होंगी।

प्रबन्ध अभिकरण में मामूली सा परिवर्तन करने के लिए भी सरकारी अनुमोदन का प्राप्त करना जरूरी है। प्रबन्ध अभिकरण के संविधान में किसी परिवर्तन की अवस्था में तो सरकारी अनुमोदन समझ में आ सकता है, परन्तु किसी व्यक्ति के अवकाश प्राप्त करने आदि जैसे मामूली मामलों में ऐसा हस्तक्षेप अनावश्यक ही समझा जाएगा।

जैसा कि मैंने कहा, ९० से ९५ ऐसे खण्ड हैं जिनमें सरकारी हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है। एक ऐसे समय पर जब आप विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को आरम्भ कर रहे हैं, आप ऐसी शक्तियां सरकार को सौंप रहे हैं जिनका प्रयोग वह उतनी सावधानी से नहीं कर पाएगी जितनी कि आवश्यक है। वास्तव में समवाय विधि में विधि सम्बन्धी उपबन्धों की इतनी कमी नहीं है जितनी कि प्रशासन की त्रुटियां हैं और जिनके कारण ही सभी दुरुपयोग और कदाचार की बातें होती हैं इस विचार से हमें मुख्य नीति को कार्यान्वित करने के लिए अपनी प्रशासी व्यवस्था को कुछ बड़ा करना चाहिये। परन्तु इसका बहुत अधिक विस्तार करना, प्रत्येक छोटी-छोटी बात को प्रस्वीकृति के लिए सरकार के पास ले जाना, मेरे अपने विचारानुसार, कार्य को अव्यवहारिक ढंग से करना है। इससे सरकार पर एक भार पड़ेगा जिसे वे कदाचित सन्तोषजनक ढंग से न निभा सकेंगे।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक पर जिस रूप में यह है, शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करें। हम यहां इस लिए हैं कि अपने देश को प्रगति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ायें। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि विधेयक का उद्देश्य केवल विधि व व्यवस्था बनाये रखना ही नहीं होना चाहिए। हमें यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि हमारे समवाय का आधार सुदृढ़ हो। परन्तु मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश भर में समवायों की स्थापना में प्रोत्साहन व सहायता दी जाये। यदि विधेयक को ज्यों का त्यों पारित करके विधि बना दिया जाता है तो मुझे भय है कि यह हमारी अर्थ व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण देश में स्थापित होने वाले अनेकों छोटे छोटे समवायों के लिए बाधक होगा। अतः मैं सभा के समस्त सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि विधेयक जिस रूप में पारित किया जाये, वे ऐसा हो कि उससे समवायों के उचित व सुदृढ़ प्रबन्ध करने में सहायता मिले।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बर्मन। मैं उन सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं जो संयुक्त समिति के सदस्य न थे और जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्री जी० डी० सोमानी ने प्रत्येक उस खंड की आलोचना की है जो संयुक्त समिति ने बाद में निविष्ट किया है। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं।

[श्री बर्मन]

स्वयं में संयुक्त समिति के उन परिवर्तनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इस विधेयक में प्रस्तुत किए हैं।

इस विधेयक की संलग्न बिमति टिप्पणियों में मैं देखता हूं कि कुछ दल बिल्कुल ही सन्तुष्ट नहीं हैं, विशेषकर पी० एस० पी० और आर० एस० पी० और साम्यवादी दल। उनके इस असन्तोष के दो कारण हैं। प्रथम, वे चाहते हैं कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को एकदम पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये। द्वितीय, समवाय विधि को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वायत्त शासी संस्था बनाई जाये। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं क्योंकि विरोधी दलों ने यह भाव विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन से ग्रहण किया है। विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि यह समवाय विधि जहां तक इसके प्रशासन का सम्बन्ध है, साधनों का उद्देश्य पूर्ण करता है। आगे उन्होंने कहा है कि आर्थिक नीति की समस्या उनकी जांच के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

भाभा समिति के निर्देश पदों में इससे अधिक और कोई बात सम्मिलित नहीं थी क्योंकि वह १९४८ में स्थापित की गई थी। परन्तु अब, अवाड़ी संकल्प के स्वीकृत हो जाने और इस सभा में उसका समर्थन हो जाने से समय बदल चुका है और नई नीति के अपेक्षा भाभा समिति की नीति अभावयुक्त है। मेरा मत यह है कि संयुक्त समिति ने हमारी वर्तमान आर्थिक नीति के अनुकूल कार्य किया है और विधेयक के उपबन्धों में सुधार किया है।

खंड १९७ में यह उपबन्धित किया गया है कि सरकार समय समय पर प्रबन्ध-कर्ता का अधिकतम पारिश्रमिक निश्चित करेगी। इसका होना उस आर्थिक नीति की दृष्टि से आवश्यक है जो हम आगे से इस देश में लागू करना चाहते हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

यह एक ऐसा उपबन्ध है जिससे विधेयक में विद्यमान अभाव दूर होगा। इस कारण मुझे आशा है कि सरकार किसी भी समवाय विशेष की परिस्थितियों पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उन्हें कितने विशेषज्ञ रखने होंगे, उस समवाय विशेष में प्रबन्ध अभिकर्ता का क्या दायित्व है, और फिर यह सुझाव देगी कि परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धक का वेतन क्या है।

श्री सोमानी ने खंड ३२३ की आलोचना भी की है जिसमें उस उद्योग को सूचित करने का उल्लेख है, जहां अगस्त १९६० के उपरान्त या उससे पहिले प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति है। यदि कोई समवाय अपना कार्य बहुत अच्छी तरह, कर रहा है और देश के औद्योगिक विकास के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है तो, वह उस दिनांक के उपरान्त भी विद्यमान रह सकता है। इसके साथ ही, जिनका यह मत है कि प्रबन्ध अभिकरण तुरन्त समाप्त कर दिया जाये, मेरा उनसे निवेदन है वे ऐसा मत न रखें। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रबन्ध अभिकरण वास्तव में ठीक कार्य कर रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास में सहायता दे रहे हैं, और वे अपना कार्य सरकार की मंत्रणानुसार कर रहें हैं, तो निश्चय ही हम उन्हें रहने देंगे

यदि किसी उद्योग विशेष के मामले में यह विचार किया जाता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार नियत दिनांक के पश्चात प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त कर सकती है।

मैं समझता हूं कि सरकार इस शर्त को हमारी आर्थिक नीति के हित में अपने हाथ में रखे।

हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं के वेतन घटाना चाहते हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत विद्यमान प्रबन्ध अभिकरणों को १५ अगस्त १९६० तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हम चाहते हैं कि १९६० के पश्चात सरकार इन बातों पर विचार करे कि क्या प्रबन्ध अभिकर्ताओं में कोई परिवर्तन हो या नहीं, क्या पिछले ठेके में नियत किया गया वेतन उचित है या नहीं, और यदि यह उचित नहीं है तो सरकार निश्चय ही अपनी वेतन कम करने की इच्छा का प्रयोग करेगी।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अधिनियम के खंड ३४७ के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर पारिश्रमिक मिल सकेगा।

श्री एम० सी० शाह: जो पारिश्रमिक इस समय है वह इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात इतना ही न रहेगा। स्थिति अनुसार नई शर्तें लागू होंगी। आगे, खंड ३३१ एक नया खंड है जो संयुक्त समिति ने निविष्ट किया है, और इसमें यह कहा गया है कि एक प्रबन्ध अभिकर्ता दस से अधिक समवायों का प्रबन्धक न होगा। इस प्रकार पूंजी का एकत्रीकरण न हो सकेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि संयुक्त समिति ने मूल विधेयक में निश्चय ही कुछ सुधार किया है और अधिकांशतः सुधार हमारी आर्थिक नीति के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

अन्य बात यह है कि समवाय विधि स्वायत्तशासी संस्था द्वारा उत्तम रूप में लागू की जा सकेगी या परामर्शदाता आयोग द्वारा जिसका सुझाव विधेयक में दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकारी संस्था यह कार्य अधिक उत्तम ढंग से कर सकेगी। इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। इन्होंने संगठित होने के पश्चात अपने कार्य के संबंध में संसद के अधिकार पर आपत्ति की है। जबकि परामर्शदाता आयोग सरकार को परामर्श देगा, और संसदसदस्यों को माननीय मंत्री से यह पूछने का अधिकार होगा कि यह कार्य कैसे किया गया है या क्यों नहीं किया गया है। अतः यदि इस विधि का प्रशासन सरकारी परामर्शदाता आयोग के हाथ में दे दिया जाता है तो संसद उसके प्रशासन के अधिक सम्पर्क में रहेगी। इसके अतिरिक्त, मैं चाहता हूँ कि सरकार को, जांच पड़ताल और लेखा परीक्षण के संबंध में, यहां नियत अधिकारों की अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। मेरा सुझाव यह है कि सरकार निरीक्षकों और लेखापरीक्षकों की एक संस्था बनायें और उन्हें वहां नियत कर दे जहां उद्योग स्थित हैं ताकि वे उन्हें तदर्थ आधार पर प्रत्येक समवाय का निरीक्षण करने के लिए भेज सकें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री नेवटिया (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व): प्रबन्ध अभिकरण की पर्याप्त आलोचना की गई है और कहा गया है यह समाजवादी ढंग के समाज के विरुद्ध है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रबन्ध अभिकरण और समाजवादी ढंग के समाज में क्या संबंध है, क्योंकि एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि

[श्री नेवटिया]

संसार में अनेकों पूंजीवादी देश है परन्तु वहां यह व्यवस्था नहीं है। भाभा समिति ने पर्याप्त जांच पड़ताल के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला था यह संस्था लाभदायिक है और देश के हित में विद्यमान रहनी चाहिए। किसी ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया है, न तो संयुक्त समिति ने और न सरकार ने।

जहां तक निजी उपक्रम का संबंध है, मुख्य बात निजी संयुक्त स्टाक उपक्रमों की है। प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि निजी उपक्रमों को स्वातन्त्र्य होना चाहिए परन्तु साथ ही ऐसी रोक होनी चाहिये जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों पर छा न जायें। इस प्रतिवेदन की और अपने सुझावों की जांच हमें इस दृष्टि से करनी चाहिए कि जिससे पूंजी में वृद्धि होकर लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा होगा या नहीं। जबतक हम यह महसूस करते हैं कि प्रबन्ध अभिकरण संयुक्त स्टाक (जाइन्ट स्टाक) उपक्रमों की स्थापना आदि में सहायक बने रहते हैं, तब तक उस व्यवस्था को सहायता देने में, उसे अनुचित लाभों से वंचित करने के पश्चात पूर्ण औचित्य है। इस विधेयक का उद्देश्य यही है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन ने पारिश्रमिक में भारी कमी कर दी है, अर्थात् लाभ का २७ प्रतिशत से घटाकर ११ प्रतिशत नियत कर दिया है। यह इस प्रतिवेदन में एक अच्छी बात है। परन्तु कुछ अन्य बातें भी हैं जिन पर विचार करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि सरकार यह देखेगी कि क्या व्यक्ति विशेष प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त होने के योग्य है या नहीं। जैसा कि मेरे मित्र श्री जी० डी० सोमानी ने कहा था कि इससे अनेकों कठिनाइया उत्पन्न होंगी। यह निश्चय करना सरकारी अधिकारी पर निर्भर होगा कि व्यक्ति विशेष इस कार्य के योग्य है या नहीं। यह कहने के बजाये क्या यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रबन्ध अभिकर्ता बनने के लिए अमुक अमुक अनर्हतायें हैं। मेरा मत है कि विधि में कुछ अनर्हतायें सम्मिलित होनी चाहिए ताकि इन मामलों में भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं कम से कम हों।

पूर्व-वक्ता ने अनुपाती प्रतिनिधित्व का जिक्र किया है। परन्तु उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मेरा अनुभव है कि निर्देशक वर्ग परस्पर झगड़ते रहते हैं। समवाय की उन्नति के लिए निर्देशकों में एकता का होना आवश्यक है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि यह विचार न करने का कोई कारण नहीं कि है राज-नीतिक जनतंत्रबाद में प्रचलित प्रथा आर्थिक जनतन्त्रवाद में सफल न होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीतिक जनतंत्रवाद के महान सिद्धान्त को, कि एक प्रत्येक दल का प्रतिनिधि केबिनिट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, समवाय प्रणाली में भी क्यों न लागू किया जाय क्योंकि वहां भी निस्दिन निश्चय करने पड़ते हैं। सम्भव है कि उचित मतभेद हो और हरबार कार्य बहुमत से करना हो; इससे कुछ कटुता उत्पन्न होगी। नये विधेयक में पर्याप्त संरक्षण दिये गये हैं ताकि कठिनाई में अल्प-संख्यक सरकार को कह सकते हैं कि हमें दबाया जा रहा है और सरकार निश्चय ही हस्ताक्षेप करेगी। मैं माननीय बित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह खंड १९७ के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करें। प्रबन्धक के वेतन में कई बातें सम्मिलित हैं और वे सब एक साथ रख दी गई हैं। 'प्रबन्धक' शब्द

प्रयोग किया गया है 'प्रबन्धकों' नहीं। 'प्रबन्धक' की जो परिभाषा दी गई है लगभग वही परिभाषा प्रबन्ध अभिकर्ता की दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों एक ही प्रकार का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रबन्धक प्रबन्ध अभिकर्ता के अधीन कार्य करता है, तो मेरा ख्याल है कि उसका पारिश्रमिक इस खंड की परिभाषा के अधीन नहीं आता। क्योंकि प्रबंधक एजेंट और प्रबंधक नामक दो भिन्न व्यक्ति कंपनी के सभी कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकते।

श्री सी० डी० देशमुख: यदि शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाये?

श्री नेवटिया : जब तक प्रबंध एजेंट सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन न कर दें, यह खंड लागू न हो सकेगा।

श्री सी० डी० देशमुख: वास्तविक इरादा यही है। हो सकता है कि ११ प्रतिशत कि परिवंचना का प्रयत्न किया जाये प्रबंध-एजेंट कह सकता है कि वह ११ प्रतिशत ले रहा है और शेष प्रबंधक को मिल रहा है और प्रबंधक उसका संबंधी या साथी हो सकता है।

श्री नेवटिया: मैं इस स्पष्टीकरण से खुश हूं। यदि शक्तियों का प्रत्यायोजन न हो, और प्रबंध एजेंट अपनी शक्तियां न छोड़ें, तो प्रबन्धक जैसा प्रमुख व्यक्ति भी इस खंड के अंतर्गत न आ सकेगा। भूतकाल में हुई कुछ बुराइयों के कारण ही इस प्रणाली को छोड़ न देना चाहिये। कुछ कंपनियों की आलोचना हुई है और मैं उससे सहमत हूं, पर फिर भी उनके अंशों के बाजार भाव से पता चलता है कि जनता उनमें अब भी अटट विश्वास रखती है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से पहले ही बाजार भाव बढ़ गये थे और अब भी बढ़ रहे हैं। जनता जानती है कि इन कंपनियों की अधिकांश आय इन लोगों के हाथ जावेगी, फिर भी उसे इनकी कार्य-कुशलता और अंशों (शेयर) के भाव बढ़ने का भरोसा है, क्योंकि कोई भी ३-४ प्रतिशत लाभ के लिये अंशों में पैसा नहीं लगाता, वह सरकार को ऋण दे सकता है। इससे स्पष्ट है कि जनता हमारी तरह उन पर शक नहीं करती। जिन लोगों को कार्य-कुशलतापूर्वक उद्योग चलाने का अनुभव है, जनता उन्हीं को पैसा दे सकती है, हमें नहीं। वह जानती है कि ये लोग उत्पादन लागत कम रख कर कंपनी को सफल बना सकेंगे। हमें उनकी योग्यता को काम में लाते हुए यही ध्यान रखना है कि वे अनुचित लाभ न उठायें। यह उद्देश्य संयुक्त समिति के इन प्रस्तावों से पूर्ण हो जाता है।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़) : मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं न इन्डस्ट्रियलिस्ट हूं और न वकील हूं, लेकिन मैं कंमनी ला से कुछ वाकिफ हूं, मुझे भी उसका कुछ अनुभव है। जो कम्पनी ला पहले बना था वह कुछ सीधा सादा सा था, लेकिन अब जो कम्पनी ला बना है, जो बिल आया है, वह बहुत बड़ा और ६४९ क्लाजेज का है। इसकी भाषा भी क्लिष्ट सी है, इसका समझना मुश्किल सा है। मेरी समझ में तो जो स्थानीय वकील हैं वह भी नहीं समझ सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो बड़े बड़े आदमी, जो बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, वही नई कम्पनियां बना सकेंगे। फल यह होगा कि नई कम्पनियां बड़े बड़े शहरों में ही बन सकेंगी, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, वहीं के लोग

[श्री एस० सी० सिंघल)

उनको चला सकेंगे, और छोटे शहरों में नई कम्पनियों के खुलने में यह बिल बाधक होगा। इस लिये वित्त मंत्री साहब से मेरी यह प्रार्थना है कि अगर अब इस की भाषा नहीं सुधर सकती है तो कम से कम नोट्स बना कर पब्लिक में बेचे जायें जिनकी सहायता से इस कानून के समझने में लोगों को दिक्कत न हो।

हमारे हाउस में यह कायदा चला आया है कि जो कानून बनते हैं वह अंगरेजी ढंग के बनते हैं। उनमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। कभी यह होता है कि हाउस की राय कुछ होती है और सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ और रूलिंग दे देता है। नतीजा यह होता है कि कई दफा संशोधन होते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि कानून ऐसा बने जिसमें जो हाउस का इंटेन्शन हो, पालियामेन्ट का जो विचार हो, वह साफ जाहिर हो। मुझे चीन के बारे में कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला है, वहां के जो कानून बनते हैं वह बहुत सीधे सादे होते हैं। कानून का जो प्रिएम्बुल होता है, उद्देश्य होता है, वह साफ साफ जाहिर होता है। उसमें जो सेक्शन और क्लाजेज होते हैं उनमें साफ कर देते हैं कि यह सेक्शन या क्लाज इस उद्देश्य से बना है। मैं आपको यहां का प्रिएम्बुल दिखाता हूं:

> "संस्थाओं और अन्य कतिपय सन्थाओं सम्बन्धी विधि को संशोधित और संकलित करने के लिए।"

इससे कोई बात साफ जाहिर नहीं होती है। अगर इस प्रिएम्बुल में लिखा होता:

"अंशधारियों के अधिकारों की रक्षा करने और शनैः-शनैः प्रबंध अधिकरण पद्धति को समाप्त करने के विचार से समवाये और कतिपय अन्य सन्थाओं सम्बन्धी विधि को संशोधित और संकलित करने के लिए।"

तो इस से यह साफ हो जाता है कि क्या उद्देश्य है और हर एक की समझ में आ जाता है। इसलिये मेरी गवर्नमेन्ट से यह प्रार्थना है कि अगर कोई कानून बनाया जाय तो वह साफ साफ सबके सामने आना चाहिये कि हमारा यह इरादा है, इस इरादे से कानून बना है और वह इस तरह से पूरा हो सकता है।

श्री टी० एन० सिंह: रामायण की भाषा में लिखना चाहिये ।

श्री एस० सी० सिंघल: यहां पर चार रोज से बाद विवाद चल रहा है, मैं एक बात यह देख रहा हूं कि जो हमारे कैपिटलिस्ट सदस्य हैं, या उनके साथी, वह तो आधे दिल से इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे लोग काफी इसकी आलोचना कर रहे हैं। मैंने श्री सोमानी की स्पीच सुनी, बंसल साहब की स्पीच सुनी वह लोग न जाने किस दुनियां में रहते हैं। वह यह चाहते हैं कि जैसे भेड़िये को भेड़ों की खाने की आजादी है उसी तरह से कैपिटलिस्ट्स को हमारी जनता को चूसने की आजादी रहे। वह इसमें सुधार नहीं चाहते हैं। वह यह कहते हैं कि, साहब, कुछ मैनेजिंग एजेन्ट्स ऐसे जरूर थे जिन्होंने गलतियां की हैं, कुछ शैतानियां की हैं और उसकी वजह से इस सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे समझ में तो भारत में एक भी मैनेजिंग एजेन्ट ऐसा नहीं है जिसने टैक्स का इवेजन न किया हो या ब्लैक-मार्केटिंग न की हो। आप बड़े से बड़े कैपिटलिस्ट को ले लीजिये, कोई भी इन बातों से बचा नहीं है। मुझे डर है कि अब भी इस कानून के पास हो जाने के बाद भी वह कोई न कोई तरीका ऐसा निकाल लेंगे जिससे वह उन्हीं बातों को करते रहें जिनको अब तक करते रहे हैं। मैं भी इस

सिस्टम के बहुत विरोध में हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं इसको, लेकिन इस बिल के लिये मैं अपनी सपोर्ट दे रहा हूं, इसलिये कि अगर इसमें कुछ बुराई है तो आगे यह मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम खत्म हो जाय। मेरा इसके साथ पूरा सहयोग है।

सरकार को इस बिल के अन्दर, काफी ताकत और शक्ति मिल गई है। अब सरकार के ऊपर यह जिम्मेवारी आ जाती है कि वह इस शक्ति का दुरुपयोग न करे। सरकार को यह जिम्मेदारी ठीक तरह से निभानी है। सरकार अब जो डिपार्टमेंट खोले उस डिपार्टमेंट में ऐसे आदमी रखे जो बहुत ही ईमानदार हों, बहुत ही मेहनती और अपना काम जिम्मेदारी से करें। अगर आप ने अच्छे आदमी न रखे तो आप कामयाब नहीं होंगे और मैं समझता हूं कि उस सूरत में इस बिल को पास करवाने से कोई फायदा नहीं होगा।

मुझे तो उम्मीद है कि इस बिल के पास हो जाने पर जो पूंजीपति हैं वे सरकार से सहयोग नहीं करेंगे और कोई न कोई वे ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कि उनका घर भरे। आपने एस्टेट ड्यूटी बिल पास किया। आप बहुत उम्मीद करते थे कि आठ दस करोड़ की आमदनी आपको होगी लेकिन आपने देखा कि एक डेढ़ करोड़ से ज्यादा आमदनी आप नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिससे कि वे इस टैक्स से बच जाते हैं।

श्री राने (भुसावल) : पूंजीपति इतने मरे नहीं होंगे जितने कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब सोचते थे।

श्री एम० सी० सिंघल : इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि आप यह ध्यान रखें कि पूंजीपती इससे बचने का कोई तरीका निकाल लें।

मैनेजिंग एजेंटों की आमदनी के बारे में भी चर्चा हुई है और इसके बारे में इस बिल में भी कुछ प्रोविज़ंज़ हैं। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी दो तरह की आमदनी होती है, एक तो विज़िबल आमदनी होती है और दूसरी किस्म की वह आमदनी होती है जिसको कि इनविज़िबल कहते हैं। उनको जो इनविज़िबल आमदनी होती है वह विज़िबल आमदनी से कहीं ज्यादा होती है और वह आय कर से भी मुक्त रहती है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि जो इनविज़िबल आमदनी होती है उस पर कोई न कोई रोक अवश्य लगनी चाहिये....

श्री टी० एन० सिंह : (जिला बनारस--पूर्व) : इसका स्वरूप क्या है ?

श्री एस० सी० सिंघल : आमदनी होने पर भी वे दो दो और तीन-तीन साल तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो कमजोर शेयरहोल्डर्ज़ होते हैं जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं उनको बहुत कम दामों पर बेच देते हैं मेनेजिंग एजेन्ट यह बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। इसके बाद मेनेजिंग एजेन्ट डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, इससे शेयरों की कीमत बढ़ जाती है और तब वे इन शेयरों को बेच कर करोड़ों रुपया कमाते हैं।

जब कमीशन एजेंट की मार्फत कोई माल खरीदा जाता है जैसे किसी टेक्सटाइल मिल के लिए रुई खरीदी जाती है तो वह रुई आगे के लिए खरीदी जाती है, फ्यूचर में खरदी जाती है। उस कमीशन एजेंट के पास वे अपना नाम उस सूरत में लिखवा देते हैं जब वे देखते हैं कि एक दो महीने बाद रुई की कीमत बढ़ गई और जब देखते हैं कि रुई की कीमतें गिर गई हैं तो उस सूरत में वे कम्पनी के नाम पर उस

[श्री एस० सी० सिंघल]

रुई को लिखवा देते हैं। इस तरह से जब कभी नफे की बात होती है तो वह तो वे खुद ले लेते हैं और जब घाटे की बात होती है तो वह कम्पनी को देना पड़ता है।

इसके अलावा इनश्योरेंस एजेंट होते हैं। इनश्योरेंस का फायदा यह है कि जब किसी की इनश्योरेंस होती है अगेन्स्ट रिस्क तो उसकी जो कमीशन होती है वह एजेंट को जाती है। इस तरह से जब ये इनश्योरेंस करवाते हैं तो एजेंटों से कह देते हैं कि इनश्योरेंस हम करवायेंगे आपकी मार्फत लेकिन जो कमीशन मिलता है वह हम खुद लेंगे। इस तरह से हज़ारों रुपये रोज ये लोग कमाते हैं। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं दिल्ली में मुझे एक बड़े रिलायबल सोर्स से मालूम हुआ है कि इस तरह से हजारों रुपये की आमदनी एक मैनेजिंग एजेंट करता है।

इसी तरह से जब स्टोर परचेज़ करते हैं, जैसे कभी कोई मैशीनरी परचेज करते हैं उस सूरत में इन लोगों को कम्पनी की तरफ से भी कमीशन मिलती है और जो एजेंट हैं उनको जो कमीशन मिलती है वह भी ये लोग उनके साथ बातचीत करके खुद ही ले जाते हैं। इस तरह की बातों की इस बिल में कोई रोक नहीं है और यह चीजें एसी हैं जिन पर जरूर रोक लगनी चाहिये—

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): क्या इन चीज़ों के बारे में बोर्ड आफ डाईरैक्टज कुछ नहीं कर सकते?

श्री एस० सी० सिंघल: वह क्या कर सकते हैं। आज तक तो वह नहीं कर सके और अब तक तो यह चीज़ें चली आ रही हैं और आगे के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। यह बिल इतना बड़ा है और इतना कम्पलीकेटिड है कि इसको कई बार पढ़ने के बावजूद भी मैं इसको पूरी तरह समझ नहीं सका हूं।

एक बात और है जब इस बिल की सिलैक्ट कमेटी बनी थी उस समय मुझे शक हुआ कि यह जो सिलैक्ट कमेटी बनाई जा रही है यह इन्साफ नहीं कर सकेगी। इसका कारण यह है कि इस हाउस में जितने भी मिल मालिक पूंजीपति और उनके पिछलगू हैं वे सब उसमें घुस आये। एक भी बाहर नहीं रहा।

इस सिलसिले में हाउस आफ कामंस का यह नियम है यदि किसी मेम्बर का किसी चीज़ में कोई परसनल इन्ट्रेस्ट हो तो उसे उस मसले पर वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। यह हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस है। मैं मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से रेलेवैंट पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अलगु राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): जरूर बताइये यह आप बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं।

श्री एस० सी० सिंघल: इसमें लिखा है:

> "हाउस आफ कामन्स में यह नियम है कि जिस सदस्य का प्रत्यक्ष निजी हित हो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाती।"

सभापति महोदय: आपने उस समय यह आक्षेप क्यों नहीं किया जिस समय विधेयक संयुक्त सम्मिति को भेजा गया था कि अमुक अमुक सदस्य का प्रत्यक्ष निजी हित है अतः उसे संयुक्त समिति में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री एस० सी० सिंघल: मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उनको फायदा होता है तब तो वह स्पोर्ट करते हैं और जब

देखते हैं कि उनको नुक्सान होता है तो वे उसका विरोध करते हैं। खैर इस बात को जाने दीजिये। मगर मैं यह जरूर कहता हूं कि अगर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में किसी डाइरेक्टर का कोई परसनल इंट्रेस्ट हो तो उसे मीटिंग में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर आपने उसे यह राइट दिया कि वह डिसकशन में भी भाग ले और उसको वोटिंग राइट भी हो तो इस तरह से इन्साफ नहीं होगा। आपने एस्टेट ड्यटी बिल बनाया और उसमें कई कमियां रह गई। इस कारण से जो सरकार उस बिल के ज़रिये से एचीव करना चाहती थी वह एचीव नहीं कर सकी। आप चाहते थे कि इक्वैलिटी लायें, समानता लायें और इसी वजह से यह बिल पास किया गया था। लेकिन उन कमियों के कारण बाधायें पड़ रही हैं इस वास्ते इस बिल में भी जो ऐसी कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाये।

हमारे दो कैपिटैलिस्ट मैम्बर सिलेक्ट कमेटी में थे और उन्होंने मिनिट्स आफ डिसेन्ट दिए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि कम्पनी के सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में न लाया जाये, क्योंकि अगर वह बैलेंस शीट में आया, तो बहुत हल्ला मचेगा और बहुत दिक्कत पैदा हो जायेगी। वे लोग यहां तक पहुंच गए हैं।

मैंने वित्त मंत्री महोदय की स्पीच सुनी है। उन्होंने कहा है कि हमने शेयर होल्डर्ज़ के इन्ट्रेस्टस को प्रोटक्ट करने की कोशिश की है। यह बात बिल्कुल ठीक है। यह उनका फ़र्ज़ है कि वह शेयर होल्डर्ज़ के इन्ट्रेस्टस को प्रोटैक्ट करें। आखिर आदमी रुपया कमाता है, बचाता है और फिर इन्वेस्ट करता है। उस रुपया की रक्षा होनी चाहिये लेकिन यह बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने श्रमिकों के बारे में—वर्कर्ज़ के बारे में—कोई तज़किरा नहीं किया, हालांकि भाभा कमेटी ने इस बारे में ज़िक्र किया है और इस कम्पनी बिल के उद्देश्य बताये हैं। सफ़ा १२ पर "आबजेक्टिव्ज़" में दिया हुआ है कि :

> "हम चाहते हैं कि व्यापार व्यवस्था के निगम रूप का समायोजन इस प्रकार किया जाये जिससे प्रवर्तकों, विनियोजकों और प्रबंधकर्ताओं के बीच एकीकृत सम्बन्ध हों और कार्यकुशलता बढ़े और ऋणदाताओं, श्रमिकों और भागीदारों के हितों की रक्षा हो।"

मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि जब तक आपको वर्कर्ज़ का सहयोग न मिलेगा, तब तक कम्पनीज़ नहीं चलेंगी। आपको याद होगा कि कानपुर में मिल मालिकों और वर्कर्ज़ में झगड़ा हुआ और डेढ़ महीने तक कारखाने बन्द रहे। हम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि रुपए की निस्बत वर्कर्ज़ की ज्यादा अहमियत है। जब तक वे खुश न होंगे, तब तक कम्पनीज़ ठीक तरीके से नहीं चल सकती हैं।

मैं आपको वर्कर्ज़ का हाल बताना चाहता हूं। एक मैनेजिंग एजेन्ट हैं—शायद वे सब से बड़े हैं: बड़े देशभक्त भी रहे हैं। करोड़ों रुपया उन्होंने दान दिया है। वह महात्मा गांधी के खास भक्तों में से हैं। वह अपने को देश भक्त कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके वर्कर्ज़ की क्या हालत है।

मेरे पास एक किताब . "हाफ वे टु फ़्रीडम"। यह किताब [illegible] अमरीकन लेडी जर्नलिस्ट ने लिखी है, जो १९४६ से १९५० तक हिन्दुस्तान में रही। वह यहां प्रधान मंत्री के यहां भी रही और उनके साथ खाना खाया था। महात्मा गांधी के

[श्री एस० सी० सिंघल]

साथ भी उसकी बातचीत हुई थी। उस ने यहां के अपने अनुभव इस किताब में लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि यहां वर्कर्ज़ की क्या हालत है। यह किताब बहुत बड़ी है और बयान भी बहुत ज्यादा है उस में से थोड़ा सा मैं पढ़ कर सुनाता हूं। मैं आपको नाम भी बता देता हूं—उसने बिरला ब्रादर्ज़ के बारे में लिखा है। वह उनके कारखाने में गई—खास तौर से उस हिस्से में जहां कि वर्कर्ज़ रहते थे। उस जगह के बारे में उसने लिखा कि २५० आदमी एक ही पाखाना इस्तेमाल करते थे। स्त्रियां और पुरुष एक ही जगह जाते थे। वहां पर किसी किस्म की प्राईवेसी नहीं थी।

पानी के बारे में उसने लिखा है कि :

> साठ क्वार्टर्ज़ के लिए सिर्फ़ एक ही पम्प था और वहां पर नहाने की कोई जगह न थी।

एक क्वार्टर में कितने आदमी रहते थे अब मैं आपको यह बताता हूं। मेरे अनुमान से वह क्वार्टर ६×१२ फुट का था और लोग फर्श पर गट्ठरों की तरह पड़े सो रहे थे।

अब देखिए कि उनसे भाड़ा कितना लिया जाता था।

> वे सब बुनकर थे जिन्हें ३५ रुपये मासिक मिलते थे और उन्हें उस फर्श के लिये दो रुपये बारह आने देने पड़ते थे।

यह है यहां के मजदूरों की हालत! यह हालत उन सज्जन के यहा काम करने वाले मज़दूरों की है, जो अपन को देशभक्त कहते हैं और महात्मा गांधी के खास भक्तों में से हैं। अगर उनके यहां मज़दूरों की यह हालत है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मामूली आदमियों के यहां मज़दूरों की क्या हालत होगी।

श्री अलगू राय शास्त्री : बड़ी नाजुक।

एक माननीय सदस्य : लेकिन कम्पनी ला से इसका क्या ताल्लुक है?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य को बजाय अमरीकन महिला का विवरण बताने के स्वयं कुछ क्वार्टर देखने चाहियें।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ने स्वयं कुछ क्वार्टर देखें हैं और उनकी यही हालत है।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस बात से मतलब नहीं कि किसी विशेष नियोक्ता ने कैसे क्वार्टरों की व्यवस्था की है। मेरा अभिप्राय यह है कि जब तक कोई स्वयं जाकर न देखें उसे स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। इस देश में औद्योगिक गृह व्यवस्था के लिए क्या किया जा रहा है इसका पूरा विचार होना चाहिये।

श्री एस० सी० सिंघल : मैं समझ नहीं सका।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा कहना है कि एक ही कम्पनी के बारे में ऐसा कहने से पता नहीं चलता है। जो और कम्पनियां हैं, उनको भी खुद जाकर देखना चाहिए और सरकार किस तरह से औद्योगिक मकान बनाने के लिए सहायता दे रही है, यह भी देखना चाहिए।

श्री एस० सी० सिंघल : यह १९४६ की रिपोर्ट है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। हम तो इन बातों को आपके नोटिस में ला रहे हैं कि क्या हो रहा है।

श्री अलगू राय शास्त्री : अध्यक्ष महोदय क्या वित्त मंत्री महोदय के कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे मिस मियो ने एक किताब मन

माने ढंग से लिख दी थी, वैसे ही यह किताब लिख दी गई है और इस में कोई सचाई नहीं है और इसमें वास्तविकता से बिल्कुल दूर की बातें लिखी हैं या इसमें कुछ तथ्य है?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको सांख्यिक दृष्टि से देखना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य १९४६ की स्थिति की बात कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सिंघल : यह किताब १९४९ में लिखी गई थी।

सभापति महोदय : तब भी यह पुस्तक ६ वर्ष पूर्व लिखी गई थी।

श्री एस० सी० सिंघल : मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया है। आप चाहें, तो इसको गलत समझ सकते हैं।

वित्त मंत्री की स्पीच में और बिल में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को काफ़ी ताकत मिली है और जितनी कम्पनीज़ हैं, उनके मैनेजिंग एजेन्टस नहीं रहेंगे ।

ट्रेज़रर, सेक्रेटरी और मैनेजर के बारे में नई धाराएं हैं। यह कलाज बहुत अच्छा है, और मैं वित्त मंत्री साहब से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे आगे मैनेजिंग एजेंट बनावें तो इस बात का ख्याल कर लें कि टैक्स देने के मामले में उसका कैसा रवैया रहा है, उसने कैसा ब्लैक किया है, मजदूरों के साथ उसका कैसा रवैया रहा है। इन बातों को देख कर मैनेजिंग एजेंट बनावें और जहां तक हो सके उनकी जगह अच्छे ट्रेजरर और सेक्रेटरी बनावें। यह चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जो बातें मैंने बतलाई हैं उन पर ध्यान देना बहुत लाजिमी है।

मुझे एक बात और कहनी है। जिस क्लास की आर्थिक शक्ति बढ़ती है वह राज्य शक्ति को भी अपने हाथ में ले लेता है। जरमनी में वेमर कांस्टीट्यूशन बना तो उसे बहुत ही डिमाक्रेटिक समझा जाता था और उससे बहुत सी उम्मीदें थीं। वह बड़ा उन्नतिशील था। लेकिन जब वहां के पूंजीपतियों के हक छीने गये तो उन्होंने दो साल में ही उसे फेल करा दिया और वहां हिटलर का राज्य जमा दिया। इंगलैंड में जब लेबर गवर्नमेंट आयी तो उसने नेशनलाइजेशन किया। हालांकि इंगलैंड के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, चाहे मजदूर हों या दूसरे लोग हों, और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, और वहां मजदूरों की भी संख्या बहुत है, लेकिन फिर भी चूंकि सारे अखबार कंजरवेटिव लोगों के हाथ में हैं और वे रुपया काफी खर्च करते थे, इसलिए उन्होंने लेबर गवर्नमेंट को ताकत में नहीं आने दिया और कंजरवेटिव गवर्नमेंट ही ताकत में आयी। तो मेरी वित्त मंत्री साहब से यही प्रार्थना है कि वे इसका पूरा ख्याल रखें। अभी तो कांग्रेस की कुर्बानी लोगों को याद है, वह बड़ा भारी संगठन है, उसके नेताओं का संसार में सिक्का जमा हुआ है। लेकिन अगर कहीं कमजोरी आयी तो यही पूंजीपति इकट्ठा होकर पोलीटिकल पावर पर कब्जा कर लेंगे। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम का जल्दी से जल्दी अन्त हो जाये।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापन करते समय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस विधेयक का भाग्य पता नहीं क्या है। इस सभा द्वारा पारित हो जाने पर भी इस विधान को अंतिम नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि हम बहुत अधिक करना

[डा० कृष्णस्वामी]

चाहते हैं। कंपनी विधि का लक्ष्य यही होना चाहिये कि कंपनियों का प्रबंध अंशयाजकों के हित में हो। कंपनी विधान को आदर्श लक्ष्य ही बताना चाहिये, आर्थिक नीति को विनियमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। यही बात कोहेन समिति ने भी कही थी। इसका एक कारण उसके क्षेत्र का सीमित होना है, अन्यथा आर्थिक नीति को अपनाने की चेष्टायें उसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों तक हो जायेगा, जहां समवाय विधि का कोई क्षेत्राधिकार न रहेगा। संयुक्त समिति को यह ध्यान में रखना चाहिये था ज्ञापन और संस्थानियमों के बारे में तो उसने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है, पर कंपनियों के प्रबंध आदि के जटिल नियमों, संतुलन पत्र और लाभ-हानि आदि के और भेजने आदि के कई जटिल उपबंध रखे गये हैं। आशा है वित्त मंत्री इन बातों को स्पष्ट कर देंगे।

परन्तु क्या इससे छोटे-मोटे व्यक्तियों को कुछ लाभ होगा, जिनके हित में हम यह सब कर रहे हैं? क्या वे कंपनियां बना सकेंगे और इन १४६ दण्ड-विधेयक खंडों के उल्लंघन से बचे रहेंगे?

मुख्य विवाद प्रबंध-एजेंसियों को चालू रखने के बारे में है। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं तथा अनेक मामलों में उन्होंने अपने कर्तव्य को उचित रीति से नहीं निभाया है। कंपनी के लिये उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए प्रायः बहुत अधिक धन वसूल किया है। परन्तु उन गलतियों को सुधारने के स्थान पर यदि हम उस प्रणाली को ही उड़ा देना चाहें, तो यह हमारे आर्थिक विकास के लिये उचित न होगा।

हमें अपने देश में इन प्रबंध एजेंसियों का उद्भव और इतिहास देखना होगा। जिस देश में आर्थिक-संस्थायें प्रायः अविकसित हैं, जहां पूंजी वाले पूंजी लगाने में झिझकते हैं। जहां उद्योगों का आरम्भ करने और उनका विकास करने के प्रेरक कारणों आदि की कमी है, वहां इन प्रबन्ध एजेंसियों की आवश्यकता बहुत अधिक है। मैंने इस विधेयक में इससे संबंधित उपबंध को रूचि से पढ़ा है। खंड ३२३ कहता है कि केन्द्रीय सरकार विहित नियमों के अनुसार गज़ट में घोषणा करके किसी कम्पनी के प्रबन्ध एजटों का कार्य काल समाप्त कर सकती है। इस खण्ड में सरकार को विवेक की बहुत अधिक शक्ति दे दी गई है। सरकार द्वारा यह निर्णय किया जाना तो ठीक है कि किस उद्योग में प्रबन्ध एजेंट हों और किस में नहीं। जैसे सरकार वस्त्र उद्योग में अधिकतम उत्पादन का बन्धन लगाना चाहती है, तो वह कह सकती है कि इस उद्योग में प्रबन्ध एजेंट आवश्यक नहीं हैं। पर पिछड़े क्षेत्रों में जहां लोग पूंजी लगाने में झिझकते हैं, प्रबन्धएजेंट रखे जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। यह व्यवस्था इस खण्ड में है, पर दी जाने वाली इतनी विस्तृत शक्तियों की दृष्टि में हमारी यह मांग है कि इसके ऊपर यह बन्धन होना चाहिये कि इस खण्ड के अन्तर्गत किसी अधिसूचना के निकाले जाने के पहले खण्ड ४०६ के अन्तर्गत बनने वाले सलाहकार आयोग की राय ली जाये। वह लोग विशेषज्ञ होंगे और इस नाते यह सुझाव देने में अधिक योग्य सिद्ध हो सकेंगे कि किसी फर्म या उद्योग विशेष में प्रबन्धएजेंट हों या न हों।

इस खण्ड के अधीन जो नियम बनेंगे उनके सभा पटल पर रखे जाने की व्यवस्था

तो है, परन्तु संसद सदस्यों को यह अधिकार भी होना चाहिये कि वे नियत समय के अन्दरअन्दर उन पर संशोधन भी रख सकते हैं।

जब खण्ड ३२३ के अन्तर्गत इतनी शक्तियां सरकार ने ले ली हैं, तब खण्ड ३२५ की मैं कोई आवश्यक नहीं समझता। इस खण्ड में यह उपबन्ध रखा गया है कि जिन कम्पनियों पर कण्ड ३२३ वाला निषेध लागू नहीं होता, वे भी कम्पनी की साधारण-सभा के बिना और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबन्धएजेट नियुक्त न कर सकेंगी और केन्द्रीय सरकार अपना अनुमोदन तभी देगी, जब उसे संतोष हो कि कम्पनी में उनका होना जनहित में है, वे व्यक्ति उपयुक्त हैं और केन्द्रीय सरकार की शर्तों को पूरा करते हैं।

मैं पूछता हूं कि जब सरकार ने यह मान लिया कि इनमें प्रबन्धएजेंटों की नियुक्ति आवश्यक है, फिर वह हस्तक्षेप क्यों करती हैं? सरकार उनकी उपयुक्तता का निश्चय कैसे करेगी ? यदि सरकार उन्हें अनुपयुक्त मानती है, कुछ शर्तों की पूर्ति चाहती है, तो कम्पनी विधि या साधारण विधि के अधीन कार्यवाही करनी चाहिये । यह बात मूल विधेयक में न थी। केवल पहले तीन साल के लिये अनुसूची में रखी गयी थी। अब इसे स्थायी क्यों बनाया जा रहा है? औद्योगिक वित्त निगम व्यक्तियों और उनकी कीर्ति को देखकर ऋण देता रहा है, अब सरकार भी वही करना चाहती है। इससे तो विस्तृत औद्योगिक विकास ही न हो सकेगा। नये लोग सामने न आ सकेंगे ?। कुछ पुराने ही प्रबन्ध एजेंट शेष रह जायेंगे ।

खण्ड ३२९ भी लुप्त कर दिया जाना चाहिये। खण्ड ३२५ के अनेक सहायक उपबन्ध भी लुप्त कर दिये जाने चाहिये। व्यक्तिगत प्रबन्ध एजेंटों की नियुक्ति के बारे में सरकार को इतनी शक्ति देने से कौन सा जनहित सिद्ध होगा ?

अब मैं विवादग्रस्त खण्ड ३३१ को लेता हूं आर्थिक सत्ता के केन्द्रित होने के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया था। मैं इसके पक्ष में हूं भविष्य में एक व्यक्ति दस से अधिक कम्पनियों का प्रबन्धएजेंट न होना चाहिये । पर क्या इस उपबन्ध से यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा? उलटे प्रबन्धएजेंटों के हाथों में और अधिक आर्थिक शक्ति केन्द्रित होगी । क्योंकि कम्पनी किसी भी उद्योग के बारे में बन सकेगी और वह कम्पनी अपनी अनेक शाखायें तो खोल ही सकेगी इस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी कम्पनियां जन्म लेंगी। मेरी समझ से तो इसकी अपेक्षा कि एक विशाल कम्पनी की २०० शाखायें हों, अनेक स्वतन्त्र कम्पनियां रहना कहीं अधिक अच्छा है। दिल्ली क्लाथ मिल जैसी किसी कम्पनी के ज्ञापन को देखने से पता चल सकता है कि एक कम्पनी कितनी शाखायें खोल सकती हैं?

पूरे देश में शाखाओं वाली इन कम्पनियों के कारण आर्थिक शक्ति वाली यह समस्या फिर हमारे समाने आ जायगी।

माननीय सदस्यों ने शायद प्रबन्धकों के पारिश्रमिक वाले खण्ड १९७ के उपबन्धों को नहीं देखा है। यदि यह इसी रूप में पारित हो गया, तो कम्पनियों के बनने में और हमारे इस उद्देश्य के सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी कि आय का समुचित वितरण हो। आय के वितरण को बदलने का काम कम्पनी विधान का नहीं है। इस उपबन्ध से सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा । क्या यह आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना के अनुकूल होगा? क्या हम इन लोगों के लिये ऐसे वेतन का उपबन्ध करना चाहते हैं,

[श्री कृष्णस्वामी]

जिनसे हमारी कम्पनियों को लाभ न हो ? फिर प्रबन्ध एजेंटों को, जो उपक्रम शुरू करने वाले हैं, पारिश्रमिकों का अधिकारी माना भी जा सकता है, पर प्रबन्धक तो कम्पनी का प्रशासक है। संयुक्त समिति ने यही गलती की है कि उसने उपक्रमी और प्रशासक में कोई भेद न रखा। उपक्रमी की आय पर तो सीमा लगाई जा सकती है पर अन्य ऊपरी खर्च पर विधि द्वारा सीमा लगाना सम्भव नहीं है। मेरे विचार से संयुक्त प्रवर समिति को प्रबन्धकों आदि के पूरे पारश्रमिक को निश्चित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये था। इस खण्ड से तो समवाय का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं चलेगा क्योंकि पारिश्रमिक निश्चित करने के लिये हम सरकार के विवेक पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

खण्ड ३४७ प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक के सम्बन्ध है तथा मैं संयुक्त समिति से एकदम सहमत हूं कि इनका पारिश्रमिक कुल लाभ के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। १९३६ में समवाय विधि के लागू करने के समय सर एन० एन० सरकार की भी यही सम्मति थी कि लाभ का कुछ अंश ही पारश्रमिक निश्चित होना चाहिये। तथा इसी कारण लाभ की परिभाषा अवश्य होनी चाहिये। मेरा भी यही मत है कि अधिकतम दस प्रतिशत ही पारिश्रमिक रखना चाहिये। डा० जान मथाई ने भी अपने विचार की जाँच आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड १ के पृष्ठ १२७ पर प्रकट किये हैं कि पारश्रमिक लाभ का ही एक अंश होना चाहिये।

इसके पश्चात् मथाई आयोग ने प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं तथा अंशधारियों को मिलने वाली आपकी तालिका दी है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मथाई आयोग ने, विभाजित लाभ तथा संचित लाभ में से अंशधारियों को मिलने वाले अंश के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। तथा इसी कारण अंशधारियों की तुलना में, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के 'पारश्रमिक का अनुमान अधिक लगा लिया है परन्तु फिर भी १९३६ के चौदह प्रतिशत से यह दस प्रतिशत ठीक ही है। माननीय वित्त-मंत्री ने 'वास्तविक लाभ' की बड़ी परिभाषा की है परन्तु यह जैसा मूल विधेयक में था वैसा ही है इसलिये उन्होंने स्वयं इसमें कुछ नहीं किया है।

मेरे विचार से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के संम्बन्ध में बहुत कुछ बताया जा चुका है तथा माननीय सदस्य अब इसके विपक्षी हीं होंगे क्योंकि प्राविधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये कुछ न कुछ विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह सीमा भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाभ का अंश देने पर इन अभिकर्ताओं आदि, उद्योग में लाभ बढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे क्योंकि जितना अधिक काम होगा उतना अधिक उनको पारश्रमिक मिलेगा

खण्ड ६१०, ६११, ६१२ तथा ६१३ को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि सरकारी समवायों को कुछ विशेष स्तर पर रखा गया है। हमें राष्ट्रीय उद्योगों के थोड़े अंशधारियों को भय संरक्षण देना चाहिये। इन सार्वजनिक समवायों में सरकारी अंश ८० प्रतिशत नहीं बल्कि ५१ प्रतिशत होगा। मेरा सुझाव है कि ५१ प्रतिशत नियंत्रण न रखकर सरकार को इन पर शत प्रतिशत नियंत्रण रखना चाहिये जिससे हम संसद में इनके सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछ सकें। क्योंकि इन समवायों को समवाय अधिनियम के कुछ उपबन्धों की छूट देने से अल्प संख्यक अंशधारियों को

संरक्षण नहीं मिलता है तथा वह अपनी कठिनाइयों को भी कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। किसी ने बताया था कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धित की बुराइयों को प्रचार के द्वारा रोका जा सकता है। मेरा विचार है राष्ट्रीय उद्योग की बुराइयां भी प्रचार के द्वारा रोकी जा सकती हैं। इसलिये मैं चाहता हू कि प्रचार कार्य स्वतंत्र हो जिससे हम जान सकें किस हमारे धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है।

एक उपखण्ड यह रखा गया है महालेखा परोक्षक सार्वजनिक समवायों की लेखा परीक्षा करेंगा। परन्तु मुझे एक आपत्ति है, कि महालेखा परीक्षक को केवल सरकारी लेखों का ही अनुभव होता हैं। महालेखा परीक्षक की अद्यौगिक वित्त निगम क कार्यनिष्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन मे ज्ञात हो चुका है कि महालेखा परीक्षक को व्यपार के लेखों का बिलकुल अनुभव नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

महालेखा परीक्षक उन समवायों पर केवल अधीक्षग कर सकता है जिससे समवाय को चलाने में सहायता मिलेगी।

इसके पश्चात मैं 'गुप्त रक्षित निधि' के खण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहना हूं। इसके सम्बन्ध में बहुत भ्रम क्यों किया गया है। 'गुप्त' शब्द से जनता में हुई आशंकाएं पैदा हो जाती है, परन्तु ये निधियां लेखा पद्धित के सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही रखी जाती है। सभा को पूर्ण अधिकार है कि यह वह इस 'गुप्त-रक्षित निधि' की वास्तविक स्थिति को समझें। लेखा नियमों के अनुसार किस समवाय की गुप्त निधि को उस समवाय द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बाजार भाव अथवा लागत जो भी काम हो, की धन-राशि ही होती है। तथा यह अशंधारियों को नहीं बताई जाती है। परन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने यह निश्चित किया कि भाण्डारों का निश्चय बाजार भाव पर निश्चित करना चाहिये परन्तु इसके द्वारा अधिक अनुमान लगा लिया जायेगा और समवाय को हानि हो जायेगी। मैं सभा का ध्यान इस लेखा नियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि समवाय निधि का संशोधन तो आवश्यक था परन्तु सरकार का इतना अधिक नियंत्रण तथा अधिक्षण तो आवश्यक नहीं था। जाइंट स्टाक कम्पनी के रजिस्ट्रार न अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि ५६००० समवाय है। तथा इस प्रकार यदि हम इन समवायों पर अधिक्षण रखेंगे तो बहुत से व्यक्यों को नियुक्त करना पड़ेगा। यही होगा कि किसी समवाय की शिकायत हुई—क्योंकि छोटे-छोटे व्यापारी नियमों का उलंघन अनिवार्य रूप से करेंगे ही—और जांच प्रारंभ हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस खण्ड के द्वारा छोटे व्यक्ति समवाय बनाने में कठिनाई अनुभव करेंगे, जब कि बड़े-बड़े व्यापारी विधि सम्बन्धी सम्मति लेकर अपना सुचारु रूप से विकास कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधेयक के विधि बनने के एक वर्ष पश्चात वित्त मंत्री इसका संशोधन चाहेंगे क्योंकि सरकार को तब तक कटु अनुभव हो चुका होगा कि यह विधान अव्यवहारिक है तथा कि इससे पिछड़े क्षेत्रों तथा छोटे व्यक्तियों को हानि हो रही है।

पंडित के० सी० शर्मा : इस विधान को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हुं। सभा के समक्ष दो मूलभूत प्रश्न है, एक तो यह कि अंश-धारियों के हितों की किस प्रकार रक्षा की

[पंडित के० सी० शर्मा]

जाये तथा दूसरा यह कि प्रबन्ध अभिकरण के अधिकारों को सीमित किया जाये। मैं उनमें से एक हूं जो प्रबन्ध अभिकरण पद्धित की सराहना करते हैं क्योंकि इसके द्वारा उद्योगों की उन्नति ही हुई है। परन्तु मुझे खेद है औद्योगिक पक्ष के व्यक्तियों ने यह नहीं सोचा कि इन निर्माण संस्थाओं ने जनता के त्याग पर ही अपने को इतना विकसित किया तथा इसीलिये सरकार का भी इससे सम्बन्ध हो जाता है।

इन संस्थाओं का आधार अंशधारी ही होते हैं। परन्तु यह अंशधारी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को केवल खंड ३३७ के अन्तर्गत ही हटा सकते हैं। एक निदेशक का खंड २८३ के अधीन सामान्य बैठक में भी हटाया जा सकता है परन्तु इसी प्रकार प्रबन्ध अभिकरण को भी न हटाया जाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण को हटान के सम्बन्ध में भी एक उपबन्ध बनाया जाये। मैं इससे सहमत हूं प्रबन्ध अभिकरण ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं परन्तु उन्होंने ऐस बुरे कार्य भी किये हैं। इसके सम्बन्ध में उनका उत्तर है कि सभी ऐसा करते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि यह वर्तमान समय में यह कहना न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिये यह विधेयक अत्यावश्यक है। अधिक नियंत्रण होना चाहिये जिस से सभी बुराईयां दूर हो जाय तथा अंशधारी भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। अंग्रेजी काल में जनता अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकतीं थी परन्तु आप किसी भी प्रदेश अथवा जिले में चले जाइये तो आप सुन सकते हैं कि जिला पदाधिकारी अथवा अन्य किसी पदाधिकारी ने यह कार्य नहीं किया तथा उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि अंशधारियों को भी इसी प्रकार के अधिकार मिल सकें। इसीलिये मेरी सम्मति यह है कि जिस प्रकार निदेशकों मताधिक्य से हटाया जा सकता है उसी प्रकार प्रबन्ध अभिकरण को हटाने का अधिकार अंशधारियों को दिया जाये। साथ ही मेरा सुझाव यह भीं हैं कि खण्ड ३६६ को भी हटा दिया जाये। क्योंकि जब एक संस्था को अकुशल घोषित कर दिया जाये तब उसको तीन वर्ष का पारश्रमिक क्यों दिया जाये। यदि वे सुचारू रूप से कार्य करते हैं तब उन्हें हटाने की आवश्यकता हीं क्या है। इसीलिये इनको केवल मताधिक्य से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं श्री मुरारका तथा श्री नथवानी से सहमत हूं निदेशकों की नियुक्ति एकता कि संक्रमणीय मत के द्वारा ही होनी चाहिये। अमरीका में यह व्यवस्था प्रचलित है तथा वहां के प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि इस पद्धति से बड़ा सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। अब उनका कथन है कि नेहरू-लियाकत समझौता सफल नहीं रहा। मैं कहूंगा कि प्रशासन तथा लाभ इकट्ठा करना तो अलग-अलग बातें हैं। प्रशासन में विभिन्न आदर्श होते हैं प्रशासन तथा राजनैतिक दल के विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। परन्तु लाभ इकट्ठा करने के लिये दो व्यक्तियों के विचार भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते हैं। भारत में उद्योगों से केवल लाभ ही उठाया जाता है तथा इसी लिये इतनी कठनाई है। मेरे विचार से बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ऐसा ध्येय लेकर नहीं चलना चाहिये। परन्तु बुद्धिमान धनी व्यक्ति ही जनतंत्र में भी खूब लाभ उठाते हैं तथा उन्हीं को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। क्योंकि धन के द्वारा वह अपने व्यक्तियों का संसद में निर्वाचन करा

सकते हैं तथा वहां पर ऐसे कार्य करा सकते हैं जिससे उन्हें लाभ रहे । क्या जनतंत्र इस प्रकार के व्यक्तियों से पनप सकता है ? मुझे प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि वह तो केवल कुछ करोड़ रुपया ही बनायेंगे । मेरा कहना यही है कि हमारे उद्योगपति भी यह समझ कर ही कार्य करें कि उन्ह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है परन्तु मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि ऐसा है नहीं । केवल उनके पास अधिक धन है इसका कोई प्रभाव नहीं परन्तु उनके मस्तिष्क तथा चरित्र का अधिक प्रभाव पड़ता है । और इसी कारण मेरा सुझाव है कि निदेशकों का चुनाव एकतासंक्रमणीय मत के आधार पर होना चाहिये । मेरे विचार से यह संतोजनक रूप से कार्य करेगा ।

इसके अतिरिक्त इन निदेशकों में कुछ भारतीय निदेशक भी होने चाहियें । इस सम्बन्ध में मैं समवाय विधि समिति क प्रतिवेदन का उद्धरण देना चाहता हूं । इसमें न्यूयार्क के सामान्य निगम विधि का एक उद्धरण है कि बोर्ड के निदेशक पूर्ण आयु के होने चाहिये तथा अमरीका के नागरिक हों । स्वीटजरलेंड में भी ऐसा ही उपबन्ध है । इसलिये मेरा विचार है भारत में होने वाले सभी कामों में भारतीयों का हाथ हो जिससे देश के हित का सर्वदा ध्यान रहे ।

इसके पश्चात मैं प्रबन्ध अभिकर्त्ता के परिश्रमिक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक नए विषय पर जा रहे हैं इसलिये मेरा विचार है कि वह अपना भाषण कल जारी रखें । सभा कल ११ बजे समवेत होगी ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, १७ अगस्त, १९५५ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—222LSD—16-7-56—190